रुसू बैंकिंग विशेषांक

यूनियन सृजन

वर्ष - 9, अंक -4, मुंबई, अक्तूबर - दिसंबर 2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 14.02.2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष - 9, अंक - 4, मुंबई, अक्तूबर-दिसंबर, 2024

रुसू बैंकिंग विशेषांक

मुख्य संरक्षक

ए. मणिमेखलै
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

संरक्षक

नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक

रामसुब्रमणियन एस.
कार्यपालक निदेशक

संजय रुद्र
कार्यपालक निदेशक

पंकज द्विवेदी
कार्यपालक निदेशक

मुख्य संपादक

चन्द्र मोहन मिनोचा
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)

संपादकीय सलाहकार

गिरीश चंद्र जोशी
महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा.)

जी. एन. दास
महाप्रबंधक

कार्यकारी संपादक

विवेकानंद
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)

संपादक

गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)

संपादकीय सहयोग

मोहित सिंह ठाकुर
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

जागृति उपाध्याय
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

परिदृश्य

प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन सृजन' के इस अंक के माध्यम से अपने विचार आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.

वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण है. हमारी पहचान हमारी संस्था से है और हमें इसकी छवि को और निखारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. अत: हमें अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाना होगा. कारोबार की प्रगति के लिए हर दिन मायने रखता है. हमें साथ काम करते हुए बेहतरीन परिणाम हासिल करना होगा ताकि हम इस वित्तीय वर्ष में बेमिसाल आंकड़े दर्ज कर सकें. हमें खुदरा कासा, खुदरा मीयादी जमा, रैम ऋण और वसूली यानी आरआरआर + आर पर ध्यान देने की कार्यनीति में अटल रहना होगा. उत्तम वित्तीय परिणाम हासिल करने के लिए यह कार्यनीति बहुत महत्वपूर्ण है.

यूनियनाइट्स ने कई बार साबित किया है कि हम एक साथ खड़े हो जाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं. हमारे बैंक के कारोबार की नींव मज़बूत बुनियादी ढांचा, नई पहल और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के दृष्टिकोण से बनी है. अपने अनुभवों से सीख लेते हुए नई ऊँचाइयों को छूने के आशय को सार्थक करने के लिए व्यवस्थित कार्ययोजना अमल करनी होगी. बैंक की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और कुशल कार्यशैली से कारोबार लक्ष्य अवश्य हासिल होंगे.

आप सभी जानते हैं कि बैंक में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. यह समय स्टाफ सदस्यों के व्यावसायिक प्रगति की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस मौके पर आइए हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में चिंतन करें और अपनी महान संस्था के प्रति आभार व्यक्त करें. इस अवसर पर मैं पदोन्नति प्रक्रिया में भाग ले रहे स्टाफ सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भारत के आर्थिक विकास की राह सुगम बनाई है. हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यूनियन बैंक ने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है और वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी बैंक ने बेहतरीन काम किया है. ग्रामीण एवं अर्धशहरी ग्राहकों के लिए तैयार की गई बैंकिंग योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए हमारा बैंक समर्पित है. ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र में कारोबार के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने रुसू क्षेत्रों में प्रीमियम शाखाएं खोली हैं. दूरस्थ क्षेत्रों के ग्राहकों को 'बैंक मित्र' के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. वित्तीय साक्षरता की दिशा में भी बैंक ने काफी अच्छा काम किया है. मुझे खुशी है कि बैंक की कार्पोरेट हिंदी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' के इस अंक में 'रुसू बैंकिंग' की विशेषताओं को बखूबी रेखांकित किया गया है. इसके लिए मैं 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक के सभी लेखकों और संपादक मंडल का अभिनंदन करती हूँ.

बैंक की विरासत को बनाए रखना, इसे आगे बढ़ाना और समृद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है. मैं आशा करती हूँ कि बैंक के सभी स्टाफ सदस्य संकल्प, सहयोग और सक्रियता से बैंक के कारोबार के विकास और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे. आइए, हम सब एक जुट होकर नवीन ऊर्जा और समर्पण के साथ वर्ष 2025 में अविस्मरणीय सफलता हासिल करने के लिए कार्य करें.

शुभकामनाओं सहित,

(ए. मणिमेखलै)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन सृजन' के इस अंक के माध्यम से आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. 'रुसू बैंकिंग' पर केंद्रित विशेषांक तैयार करने के लिए मैं 'यूनियन सृजन' की संपादकीय टीम और लेखकों को हार्दिक बधाई देता हूँ. रुसू बैंकिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं को इस विशेषांक में शामिल किया गया है. मुझे आशा है कि यह बेहतर ग्राहक सेवा हेतु उपयोगी सिद्ध होगा.

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों की ज़रूरतें शहरी क्षेत्रों की तुलना में अलग होती हैं. इन क्षेत्रों में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा में मानवीय पहलु की अहमियत अधिक होती है. साथ ही देश में तकनीकी क्रांति के दृष्टिगत आईटी सेवाओं और सुविधाओं की पहुँच अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तृत हुई है. तथापि इस वर्ग के ग्राहकों के लिए हमारी सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना हमारे स्टाफ की जानकारी और ग्राहक सेवा के प्रति उनके समर्पण पर काफी हद तक निर्भर करता है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचान कर उन्हें उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने रुसू क्षेत्रों में प्रीमियम शाखाएं खोली है.

वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में बैंक ने अपने कारोबार के विकास, धरोहर की समृद्धि और सेवाओं में विविधता लाने की दिशा में कई पहल किए हैं. हमारा बैंक 106 वर्ष की सुदीर्घ अवधि से अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ नए अवसरों को पहचानने और बदलते समय के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल रहा है. बैंक नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में हमेशा अग्रणी रहा है. बैंक ने प्रौद्योगिकी का लाभ सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से ग्राहकों तक पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया. इसी का परिणाम है कि यूनियन बैंक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित होता आ रहा है. भारत सरकार के ईज़ मानकों को अपनाने में भी बैंक ने प्रतिबद्धता प्रदर्शित की और सम्मान का पात्र बना. समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी योजनाएं और सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में बैंक ने अपनी पहचान बनाई है. इसी प्रकार हरित उत्पाद विकसित करते हुए बैंक संवहनीयता मानकों का सच्चे मायनों में अनुपालन कर रहा है.

खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई (रैम) क्षेत्र पर बैंक ने विशेष ध्यान दिया है. यह क्षेत्र समाज के विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्त प्रदान करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और रोज़गार के अवसर विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है. सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने और सामाजिक कल्याण को गति प्रदान करने में अपने बैंक ने सक्रिय कार्य किया है. एमएसएसई क्षेत्र में कारोबार विकास के अवसर छिपे हुए हैं. इन्हीं अवसरों को कारोबार में परिवर्तित करने के प्राथमिक लक्ष्य से यूनियन एमएसएमई फर्स्ट शाखाएं खोली गई हैं, जिनके माध्यम से अपने एमएसएमई ग्राहकों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

मैं पदोन्नति प्रक्रिया में भाग ले रहे स्टाफ सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ. बैंक की प्रगति में स्टाफ सदस्यों की उन्नति अंतर्निहित है. आइए, हम इस वित्तीय वर्ष के लिए अभूतपूर्व कार्यनिष्पादन दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 को उल्लेखनीय बनाएं.

शुभकामनाओं सहित,

नितेश

(नितेश रंजन)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

यूनियन सृजन के 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक के माध्यम से आप सभी के समक्ष अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है. हम 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही की ओर बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए आत्मविश्लेषण और संकल्प लेने का समय है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण दायित्व भी है. भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है.

वित्तीय समावेशन, जिसे सशक्त भारत की नींव का एक प्रबल स्तंभ कहा जाता है, इस अंक के माध्यम से आप इसके कई आयामों से रू-ब-रू होंगे. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), और डिजिटल बैंकिंग जैसी पहलों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया है. किंतु ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अब भी कई ऐसे ग्राहक हैं जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं. इन ग्राहकों तक पहुंचकर उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक बनाना, बैंकिंग प्रक्रियाओं से परिचित कराना और उन्हें डिजिटल बैंकिंग की ओर प्रेरित कर मुख्य धारा से जोड़ना हमारा उद्देश्य होना चाहिए.

ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता हेतु बैंक ने रुसू क्षेत्रों में प्रीमियम शाखाएं खोली हैं. एक कुशल बैंकिंग प्रणाली का आधार अच्छी ग्राहक सेवा है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा प्रत्येक ग्राहक बैंकिंग सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट हो. यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए ग्राहकों को शिक्षित करना बेहद आवश्यक है. डिजिटल लेन-देन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नकद आधारित प्रणाली पर निर्भरता घटेगी.

छोटे किसान, कारीगर, महिला उद्यमी और सूक्ष्म व्यवसायी अक्सर वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझते हैं. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचे. वित्तीय अनभिज्ञता बैंकिंग सेवाओं के कम उपयोग का एक बड़ा कारण है. बैंक द्वारा ग्राहकों को वित्तीय योजनाओं, बचत, निवेश और कर्ज के उचित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए किए जा रहे विशेष शिविर और कार्यशालाएँ प्रशंसनीय हैं. क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से बैंक ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा प्रशिक्षण हेतु 'यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष' कार्यक्रम का सफल संचालन किया है जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहकों से उनकी अपनी मातृभाषा में संवाद किया जा रहा है.

सुरक्षित और पारदर्शी बैंकिंग द्वारा साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए ग्राहकों को जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग के प्रति सचेत करना जैसी प्राथमिक जिम्मेदारी को समझते हुए बैंक ने ग्राहक से सेवा संबंधी प्रतिक्रिया को ऑनलाइन किया है.

आप सभी यूनियनाइट्स, केवल आर्थिक लेन-देन करने वाले नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव के वाहक भी हैं. आपके प्रयास से ही समाज का प्रत्येक वर्ग वित्तीय रूप से मजबूत हो सकता है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंकिंग क्षेत्र में हमारा उद्देश्य केवल लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि उन लोगों तक पहुँचना है जो अब भी बैंकिंग से अछूते हैं.

यह अंतिम तिमाही हमें अधिक मेहनत और समर्पण से कार्य करने का अवसर देती है. प्रत्येक खाता, ऋण वितरण और प्रत्येक ग्राहक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, देश की आर्थिक मजबूती में हमारा योगदान है. आइए, इस वित्तीय वर्ष को सफलतम बनाएं और ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी भारत को वित्तीय समावेशन के पथ पर आगे बढ़ाने का संकल्प लें.

"आपका समर्पण, आपका परिश्रम ही देश के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।"

शुभकामनाओं सहित,

एस राम

(रामसुब्रमणियन एस.)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन सृजन' पत्रिका के दिसंबर अंक के साथ आपसे जुड़कर और अपनी बातें साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता है. वर्तमान अंक 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक है. आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पीएम जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, आधार नामांकन, अटल पेंशन योजना आदि के माध्यम से देश में वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने में बैंक ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है.

हमारा बैंक पारंपरिक शाखाओं और शाखारहित बैंकिंग मॉडल के संयोजन के माध्यम से एकीकृत बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य 25,086 गांवों में हर घर और सदस्य तक पहुँचने के साथ ही बैंक को आबंटित 8,349 सेवा क्षेत्रों में भी पहुंचना है. इसके अतिरिक्त, हमारा उद्देश्य बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी वार्डों सहित मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गैर-सेवा क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है.

वित्तीय समावेशन के लिए हमारा दृष्टिकोण दो प्रमुख तत्वों के आसपास केंद्रित है: भुगतान प्रणाली और औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुँच को और व्यापक बनाते हुए देश के कोने-कोने तक ले जाना. हमारे बैंक का दृष्टिकोण इस विश्वास में निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाता खोलने एवं परिचालित करने का मौलिक अधिकार है. हमारा यह दृष्टिकोण औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की पर्याप्तता और उपलब्धता, वित्तीय सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पारंपरिक और वैकल्पिक वितरण चैनलों के संयोजन के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों तक पहुंच प्रदान करने, साथ ही प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं और प्रक्रियाओं को अपनाए जाने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है.

इस संबंध में अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल (कारोबार प्रतिनिधि मॉडल) के उपयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थ के रूप में एनजीओ/एसएचजी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एमएफआई) और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति बैंकों को दी गई है. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) बैंक शाखा की एक विस्तारित शाखा है जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में ग्राहकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है. हमारा बैंक कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को एम्पैनल करता है, जो फिर अपनी तैनाती के तहत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) को विभिन्न स्थानों पर भेजते हैं. इस समय, बैंक ने 24 सीबीसी का सूचीकरण किया है. इन सीबीसी के माध्यम से देशभर के ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सेवाओं की पहुँच नहीं या बहुत कम है, इन क्षेत्रों में सेवा देने के लिए 23,269 बीसी की सेवाएं जनता के लिए सुलभ की गई हैं. बैंक रहित या वैसे क्षेत्र जहाँ बैंक की शाखाएं खोलना व्यवहार्य नहीं है वहाँ इस कारोबारी मॉडल के ग्राहकों के साथ-साथ बैंक को भी कई लाभ हैं, जैसे अधिकतम वित्तीय समावेशन, लोकसम्पर्क में वृद्धि, बैंकिंग सुविधा का विस्तार, बेहतर ग्राहक सेवा, किफायती एवं प्रभावी बैंकिंग इनमें से कुछ प्रमुख हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में वर्तमान में बैंक से संबन्धित सभी सुविधाएं जैसे पैसे निकालना, पैसे जमा करना, खाता खोलना, पास बुक प्रिंटिंग, बैलेन्स की जांच, शिकायत प्रबंधन, लोन लीड जनरेशन, माइक्रो बीमा, डेबिट कार्ड ब्लॉक/आवेदन, चेक बुक सेवाएं आदि के साथ-साथ कुल 39 सेवाएँ उपलब्ध हैं.

मुझे आशा है कि इस अंक में संकलित आलेख वित्तीय समावेशन में यूनियन बैंक की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करने के साथ-साथ बैंक की वित्तीय समावेशन पहल को और आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

शुभकामनाओं सहित,

संजय रुद्र

(संजय रुद्र)
कार्यपालक निदेशक

अवलोकन

प्रिय यूनियनाइट्स,

यूनियन सृजन के 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक के माध्यम से आप सभी के साथ अपने विचार साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. मुझे खुशी है कि हिंदी गृह पत्रिका के अंतर्गत 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक को तैयार करने में बैंक के स्टाफ सदस्यों ने अपने लेखों के माध्यम से योगदान प्रदान किया है. मैं आशा करता हूँ कि स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंकिंग विषयों को सीखने और समझने के प्रयास इसी तरह किए जाते रहेंगे.

ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शहरी शाखाओं के बराबर सुविधाएं देने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन पहल का शुभारंभ किया गया. इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और समाज के वंचित व्यक्तियों को, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है. इस क्रम में भारत सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की हैं. जैसे आधारभूत बैंकिंग सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के लिए बीएसबीडी खाते खोलना, पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए एपीवाई योजना, बैंक खाते के माध्यम से बीमा उत्पाद के रूप में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जाना. इन सभी योजनाओं को लागू करने में हमारे बैंक ने उत्तम कार्य किया है और अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जिसके लिए बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ है.

रुसू बैंकिंग अपने में वित्तीय समावेशन के सभी पहलू समेटे हुए है. पिछले वर्ष बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कारोबार संभावनाओं का लाभ उठाने और इन क्षेत्रों के ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रीमियम शाखाएं प्रारंभ की हैं. बैंकिंग के वित्तीय समावेशन विभाग का नाम परिवर्तन किया गया और इसे रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन विभाग की संज्ञा दी गई. यह पहल रुसू बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के प्रति बैंक के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है. इस पहल को वास्तव में सफल बनाने के लिए हमें ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके लिए बैंक द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए सार्थक कदम उठाना होगा.

बैंकिंग एक सेवा प्रधान क्षेत्र है, अत: ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के मानकों का लगातार अनुपालन अनिवार्य बन जाता है. ग्राहक सेवा में भाषा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है. ग्राहक को अपनी भाषा में सेवा उपलब्ध हो तो, उसकी संतुष्टि का स्तर अधिकतम होता है. बैंक द्वारा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया है. हर प्रकार की प्रचार सामग्री, ग्राहक उपयोगी सेवाएं आदि को अधिक से अधिक स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं. रुसू क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहक सेवा प्रदान करना बैंक और ग्राहकों दोनों के लिए लाभदायक होता है.

हमारे बैंक की हिंदी गृह पत्रिका अपनी विषय-वस्तु और आकर्षक कलेवर से कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है. वर्ष 2023-24 हेतु पीआरसीआई द्वारा उत्कृष्ट क्षेत्रीय गृह पत्रिका श्रेणी में 'यूनियन सृजन' को रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है. गृह पत्रिका की गुणवत्ता में निरंतर बढ़ोत्तरी करने की दिशा में संपादकीय टीम के प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि पत्रिका रोचक विषय-वस्तु के साथ सृजनात्मक विकास की ओर अग्रसर रहेगी.

शुभकामनाओं सहित,

(पंकज द्विवेदी)
कार्यपालक निदेशक

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

'यूनियन सृजन' के माध्यम से हम अपने सुधी पाठकों के समक्ष बैंकिंग क्षेत्र की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं. इसी प्रयास की अगली कड़ी में यह 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. 'हम यूनियन सृजन' के इस अंक से एक नई परिपाटी का शुभारंभ कर रहे हैं. इस अंक से 'यूनियन सृजन' में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के मार्गदर्शन 'परिदृश्य' के साथ-साथ कार्यपालक निदेशकगण के प्रेरणादायी संदेश 'अवलोकन' पाठकों के साथ साझा कर रहे हैं. हमें विश्वास है कि उच्च कार्यपालकों के संदेशों से पाठकगण बैंकिंग नीतियों, नवाचारों और कॉर्पोरेट दृष्टिकोण की बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे.

भारत जैसे बहुभाषी देश में वित्तीय समावेशन केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकों की पहुँच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के बृहत कार्य को सफल करने हेतु बैंक रुसू बैंकिंग पर विशेष ध्यान दे रहा है. वित्तीय समावेशन का लक्ष्य देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच उपलब्ध कराना है. वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त जन सामान्य को वित्तीय साक्षरता केंद्र के माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना, ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंक मित्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना जैसी पहल वित्तीय समावेशन की सफलता सुनिश्चित कर रही हैं. 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक के लेखों में वित्तीय समावेशन और आर्थिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव, विभिन्न सामाजिक कल्याण पहल आदि की विस्तृत चर्चा की गई है.

इस अंक में रुसू बैंकिंग से संबंधित लेखों के अतिरिक्त स्थायी स्तंभ के अंतर्गत वैविध्यपूर्ण लेखों को शामिल किया गया है. 'राजभाषा सृजन' के अंतर्गत भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के संबंध में व्यापक जानकारी प्रस्तुत की गई है. साथ ही, 'कार्यान्वयन सृजन' खंड के अंतर्गत 'कृषि कारोबार विभाग की शब्दावली' और 'रुसू बैंकिंग विभाग की शब्दावली' प्रस्तुत है. विभागवार शब्दावली की सहायता से बैंकिंग के दैनिक काम-काज में विशिष्ट कार्यों में हिंदी के प्रयोग में सुगमता लाने का प्रयास किया गया है. इस अंक के 'साहित्य सृजन' खंड में पाठकवर्ग को श्री हरिशंकर परसाई जैसे महान व्यंग्यकार के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का परिचय मिलेगा. साथ ही, विभिन्न विषयों पर लिखी गई कविताएं आपको बैंकिंग की सामाजिक भूमिका के बारे में सोचने हेतु प्रेरित करेंगी.

बैंकिंग संस्थानों में साहित्यिक गतिविधियाँ, जैसे - निबंध लेखन, कविता पाठ, और कहानी लेखन प्रतियोगिताएँ, कर्मचारियों में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करती हैं. इन गतिविधियों और राजभाषा क्षेत्र में बैंक की उपलब्धियों को 'राजभाषा पुरस्कार / समाचार' के अंतर्गत उजागर किया गया है.

हम 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक के लिए अपने लेख प्रेषित कर 'यूनियन सृजन' में सृजनात्मक सहयोग प्रदान करने हेतु अपने लेखकवर्ग को धन्यवाद देते हैं. इन लेखों के अवलोकन और जाँच करके हमें अपना अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान करने हेतु हम श्री नारायण शाह, सहायक महाप्रबंधक, रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन विभाग, कें. का को आभार व्यक्त करते हैं. गृह पत्रिका को मूर्त रूप देने में संपादकीय सलाहकारों के मार्गदर्शन हेतु हम कृतज्ञ हैं. हमें विश्वास है कि 'यूनियन सृजन' का 'रुसू बैंकिंग' विशेषांक आपको पसंद आएगा. 'यूनियन सृजन' की धरोहर को समृद्ध बनाने की दिशा में आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी.

भवदीया,

(गायत्री रवि किरण)

यूनियन सृजन

प्रकाशन तिथि : 14.02.2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिंदी गृह पत्रिका

वर्ष - 9, अंक - 4, मुंबई, अक्तूबर-दिसंबर, 2024

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

अनुक्रमणिका

- हिंदी भाषा प्रशिक्षण 1
- कृषि कारोबार विभाग की शब्दावली 4
- रुसू बैंकिंग विभाग की शब्दावली 6
- वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूह की भूमिका 8
- वित्तीय समावेशन एवं उसका महत्व 9
- रुसू: बैंकिंग का नया अध्याय 12
- काव्य सृजन - क्या दिक्कत है? 14
- वित्तीय समावेशन का आरंभ एवं राष्ट्रीय अनुश्रवण 15
- आधार सेवा केंद्र 17
- काव्य सृजन - वित्तीय समावेशन 18
- अटल पेंशन योजना 19
- काव्य सृजन - मुस्कुराओ 20
- अंचल कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह -2024 21
- प्रधानमंत्री जन धन योजना 25
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 27
- काव्य सृजन - प्रधानमंत्री जन धन योजना 28
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.) 29
- साक्षात्कार - डॉ. शैलेश श्रीवास्तव 30
- व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाने वाले कवि - हरिशंकर परसाई 33
- वह यादगार सफर 35
- काव्य सृजन - मैं ही सत्य मैं ही अन्त 36
- कास पठार - प्रकृति के कैनवास की पुकार 37
- युवा हैं तो दौड़िए 39
- राजभाषा पुरस्कार/समाचार 40
- आपकी नज़र में 49

राजभाषा कार्यान्वयन प्रभाग, मानव संसाधन विभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित

ई-मेल: gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank | union.srijan@unionbankofindia.bank

Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

Printed and Published by Gayathri Ravi Kiran on behalf of Union Bank of India,

Printed at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd., 65, Ideal Ind. Estate, Mathuradas Mill Compound, S. B. Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013,

and Published from Union Bank of India, 239, Union Bank Bhawan, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

यूनियन सृजन में प्रकाशित विचार लेखक के अपने हैं. प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

हिंदी भाषा प्रशिक्षण

राजभाषा नियमों एवं अधिनियमों के तहत बैंकों को, जो कि भारत सरकार के उपक्रम हैं, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लक्ष्य दिए जाते हैं. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि बैंकों में कार्यरत कार्यबल को "हिंदी" का "कार्यसाधक ज्ञान" हो. कार्यसाधक, का मतलब इतना ज्ञान जितने में हम अपने कार्यों को साध सकें, अर्थात अपने कार्यों को पूरा कर सकें.

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1960 में आदेश जारी किया गया, जो कि दिनांक 27.04.1960 से लागू हुआ, इसमें उल्लेख किया गया है कि,

- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा कालीन हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए. हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए सुविधाएं प्रशिक्षार्थियों को मुफ्त मिलती रहनी चाहिए.

उक्त आदेश के उपरांत केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया तथा 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया.

वर्तमान में कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की ज़िम्मेदारी "हिंदी शिक्षण योजना" की है लेकिन यदि कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात करें तो पहला प्रयास शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1952 में किया गया. संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में प्रारम्भ किया गया. राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया. तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में "हिंदी शिक्षण योजना" के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाने लगा. 1960 के राष्ट्रपति जी के आदेश के उपरांत हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया और आगे बढ़ते हुए 1974 में बैंकों के लिए भी इसे लागू किया गया.

1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया. इसी क्रम में 'नए भर्ती अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आते ही हिंदी भाषा का सेवाकालीन गहन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सन् 1985 में नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई. वर्ष 1988 में मुंबई, कोलकाता एवं बेंगलुरु तथा 1990 में चेन्नै और हैदराबाद में उप संस्थानों की स्थापना की गई.

विज़न : 'केंद्र सरकार तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, सांविधिक निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण (मैनुअल)/हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर) तथा हिंदी आशुलिपि में दक्षता प्रदान करना, जिससे संविधान के प्रावधानों के अनुपालन में सभी शासकीय कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित किए जा सकें.

मिशन : 'केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना का मिशन है कि वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार एवं भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निकायों, निगमों एवं बैंकों के सभी हिंदीतर भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान किया जा सके. 'साथ ही अवर श्रेणी कर्मियों, टंककों एवं लिपिकों को हिंदी टंकण (मैनुअल)/ हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर) और सभी ग्रेड के आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देना, जिससे वे राजभाषा हिंदी में कार्य करने में दक्षता हासिल कर सकें.

अधिदेश : 'सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संघ सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय सरकार के उपक्रमों, उद्यमों तथा नियंत्रणाधीन बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण (मैनुअल) / हिंदी शब्द संसाधन (कंप्यूटर) और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना.

- 'केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना.

- 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण की अत्याधुनिक तकनीकों आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों और प्राध्यापकों को तथा मंत्रालयों/ विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को राजभाषा नीति के साथ-साथ हिंदी भाषा में प्रशिक्षित करना.

- 'राजभाषा विभाग द्वारा सी - डैक के सहयोग से विकसित किए गए हिंदी के विभिन्न आई टी सॉफ्टवेयर्स का प्रचार-प्रसार एवं अभ्यास करवाना.

- 'संघ सरकार के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए, जो हिंदी में कार्य करने में झिझक महसूस कर रहे हैं, 5 कार्य

दिवसीय हिंदी कार्यशालाएं चलाना.

- 'हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयोगशालाएं खोलना, अन्य हिंदी भाषा शिक्षण के दृश्य-श्रव्य उपकरणों तथा कंप्यूटरों की व्यवस्था करना. इसके अतिरिक्त चार्टों, पोस्टरों, लघु-चित्रों आदि की सहायता से हिंदी में दिए जा रहे प्रशिक्षण को रोचक और ग्राह्य बनाना.

- 'उच्च अधिकारियों तथा उप सचिव, निदेशक आदि को राजभाषा नीति और सांविधिक व्यवस्था आदि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना.

- 'भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों की, जो संयुक्त सचिव स्तर के होते हैं, संगोष्ठियाँ आयोजित करना.

- 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के लिए दो-दो, तीन-तीन दिन के सेमिनार आयोजित करना.

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम : इस योजना के अंतर्गत देश भर में पाँच प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:

1. कार्यालय समय में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक केन्द्रों के माध्यम से दीर्घकालीन प्रशिक्षण

2. हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन (कम्प्युटर/हिंदी टंकण (मैनुअल) और हिंदी आशुलिपि का गहन पूर्ण कार्यदिवसीय प्रशिक्षण

3. पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी भाषा एवं शब्द संसाधन (कम्प्युटर)/हिंदी टंकण (मैनुअल) का प्रशिक्षण

4. अल्पावधि प्रशिक्षण, 5 दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर संचालित किए जाते हैं

5. इंटरनेट के माध्यम से वेब पर लीला प्रबोध, लीला प्रवीण, एवं लीला प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का स्वयं शिक्षण

हिंदी भाषा पाठ्यक्रम, कार्यक्रम एवं उनकी अवधि

	हिंदी शिक्षण योजना (दीर्घकालिक)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (अल्पकालिक) (पूर्णदिवसीय)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (दीर्घकालिक) (भाषा पत्राचार)	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना (अल्पकालिक)
प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ	प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ
अवधि	05 माह	25, 20, 15, 20 पूर्ण कार्यदिवसीय	01 वर्ष (प्रत्येक पाठ्यक्रम)	05 पूर्ण कार्यदिवसीय (कक्षा में पढ़ाई)
सत्र	वर्ष में 02 सत्र 1. जनवरी-मई 2. जुलाई-नवंबर	वर्ष में 03 सत्र 1. जनवरी मार्च 2. मई-जुलाई 3. सितंबर-नवंबर	वर्ष में 01 सत्र जुलाई-मई	वर्ष में 02 सत्र 1. जनवरी-मई 2. जुलाई-नवंबर (ऑनलाइन प्रशिक्षण लीला के माध्यम से)
हिंदी भाषा के लिए 05 दिवसीय : (कक्षा में पढ़ाई) अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगकर्ता कार्यालय के मांग पर इनहाउस एवं आउटरीच के माध्यम से संचालित किए जाते हैं.				

परीक्षाएँ : 'हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा के जनवरी-मई सत्र की परीक्षाएँ प्रति वर्ष मई के तीसरे/चौथे सप्ताह में तथा जुलाई-नवंबर सत्र की परीक्षाएँ नवंबर के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं. इसी प्रकार टंकण/आशुलिपि की फरवरी-जुलाई सत्र की परीक्षाएँ जुलाई के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं तथा अगस्त-जनवरी सत्र की परीक्षाएँ जनवरी के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/उप संस्थानों के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ पूरे साल नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. परीक्षा समाप्त होने के पश्चात सामान्यत: एक महीने के भीतर परीक्षा परिणाम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं. हिंदी भाषा के जिन गहन प्रशिक्षण केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं उनका परीक्षा परिणाम उसी दिन शाम तक घोषित कर दिया जाता है और तत्काल इसकी सूचना उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा संबंधित केंद्रों को ई-मेल से भेज दी जाती है.

प्रोत्साहन योजनाएं : केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार/उपक्रम/बैंकों के कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि). इस संबंध में अपने बैंक में स्टाफ परिपत्र क्रमांक 5659, दिनांक 08 अप्रैल, 2010 के माध्यम से प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जो इस प्रकार है:

परीक्षा	क और ख श्रेणी के कर्मचारी	ग और घ श्रेणी के कर्मचारी
प्रबोध परीक्षा	2000	4000
प्रवीण परीक्षा	2500	5000
प्राज्ञ परीक्षा	3000	6000
पारंगत परीक्षा	55-60% अंक - 6000 60-70% अंक - 8000 70% से अधिक अंक - 10000	

क श्रेणी : ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी है और जो अपने आपको हिंदी में अभिव्यक्त कर सकते हैं

ख श्रेणी: ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी या अन्य सहबद्ध भाषाएँ

ग श्रेणी: ऐसे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी और अन्य सहबद्ध भाषाएँ तथा सिंधी हैं

घ श्रेणी: जिन कर्मचारियों की मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी है

- निजी प्रयासों से उक्त परीक्षाएँ पास करने वाले कर्मियों को उक्त मानदेय का डेढ़ गुना देय

- उक्त परीक्षा में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उक्त मानदेय का डेढ़ गुना देय

- निजी प्रयासों से तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर उक्त मानदेय का दो गुना देय

उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें : प्रत्येक पाठ्यक्रम से संबन्धित पाठ्य पुस्तकें "केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान" द्वारा प्रिंट कर "हिंदी शिक्षण योजना" केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं.

'हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किए जा रहे हैं. 31 मार्च, 2021 तक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं हिंदी शिक्षण योजना द्वारा कुल 19,60,038 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है.

स्वैच्छिक संगठनों के स्थायी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम

हिंदी भाषा प्रशिक्षण के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम 1970 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जारी पत्रांक एफ़.7-50/69-एच.1, दिनांक 18.02.1970 के माध्यम से उठाया गया. इस पत्र के माध्यम से देश के विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संगठनों/संस्थाओं द्वारा रोजगार प्रयोजनार्थ आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षाओं को स्थायी मान्यता प्रदान की गई तथा सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने राज्य के अधीन रोजगार के प्रयोजन हेतु आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षाओं को भी इसी प्रकार की मान्यता प्रदान करें. उक्त आदेश/पत्र के आलोक में देश के विभिन्न राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के निम्न पाठ्यक्रमों को हिंदी भाषा शिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त हो गई, जिससे हिंदीतर भाषी राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी भाषा सीखने के लिए इनका प्रयोग किया.

संगठन का नाम	परीक्षा/ पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम का स्तर
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज	प्रथमा	10वीं
	मध्यमा (विशारद)	स्नातक
	उत्तमा (हिंदी साहित्य)	स्नातक (हिंदी प्रतिष्ठा)
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	परिचया	10वीं
	कोविद	12वीं
	रत्ना	स्नातक
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास	प्रवेशिका	10वीं
	विशारद	12वीं
	प्रवीण	स्नातक
हिंदी विद्यापीठ, देवघर	प्रवेशिका	10वीं
	साहित्य भूषण	12वीं
	साहित्यलंकार	स्नातक
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे	प्रबोध	10वीं
	प्रवीण	12वीं
	पंडित	स्नातक
हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद	विशारद	10वीं
	भूषण	12वीं
	विद्वान	स्नातक
बॉम्बे हिंदी विद्यापीठ, बॉम्बे	उत्तमा	10वीं
	भाषा रत्ना	12वीं
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	तीसरी	10वीं
	विनीत	12वीं
	सेवक	स्नातक
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी	प्रबोध	10वीं
	विशारद	12वीं
हिंदुस्तानी प्रचार सभा, बॉम्बे	तीसरी	10वीं
	काबिल	12वीं
मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, बैंग्लोर	प्रवेश	10वीं
	उत्तमा	12वीं
केरला हिंदी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	प्रवेश	10वीं
	भूषण	12वीं
मणिपुर हिंदी परिषद, इंफ़ाल	प्रबोध	10वीं
	विशारद	12वीं

उक्त संगठनों के अतिरिक्त कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, बैंग्लोर, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, बैंग्लोर तथा उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, जगन्नाथधाम, पूरी द्वारा दिये जाने वाले हिंदी भाषा के पाठ्यक्रमों को भी सरकारों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है.

हिंदीतर भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को हिंदी में 10वीं के उपरांत अध्ययन के लिए 2004-05 से छात्रवृति योजना भी लागू की गई, जिसका उद्देश्य हिंदीतर भाषी राज्यों में हिंदी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा राज्यों की सरकारों को शिक्षण तथा अन्य पदों पर जहां हिंदी का ज्ञान आवश्यक है, कार्य करने के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है. इस योजना के अंतर्गत छात्रवृतियाँ कक्षा 11 से पीएचडी स्तर तक मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है, जिसमें हिंदी को एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाएगा. यह छात्रवृति शिक्षा बोर्ड या स्वैच्छिक हिंदी संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर दिया जाता है. इस छात्रवृति योजना के लिए भी उक्त स्वैच्छिक संगठनों के पाठ्यक्रम मान्य हैं तथा इस योजना के अंतर्गत सभी हिंदीतर राज्यों से छात्रवृति की संख्या निर्धारित की गई है.

भारत सरकार इन प्रयासों के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयासरत है.

अखिलेश कुमार सिंह
क्षे.का., वाराणसी

कृषि शब्दावली

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसके बिना हमारा देश भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री से वंचित हो जाएगा. कृषि शब्दावली का ज्ञान हमें खेती, फसलों, और कृषि तकनीकों के बारे में समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. इसके अलावा, कृषि शब्दावली का ज्ञान हमें कृषि क्षेत्र में काम करने वालों के साथ संवाद करने में भी मदद करता है, जिससे हम उनकी समस्याओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं.

कृषि शब्दावली का उपयोग कृषि कार्यों की जटिलता को समझने और संवाद को सुगम बनाने में मदद करता है. यह किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को सीखने, नई पद्धतियों को अपनाने और कृषि उत्पादन में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, यदि किसान उर्वरकों, कीटनाशकों, जल प्रबंधन या फसल चक्र के बारे में सही जानकारी रखते हैं, तो वे अपने खेतों में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं.

इसके अलावा, कृषि शब्दावली का उपयोग कृषि अनुसंधान और विकास कार्यों में भी किया जाता है. वैज्ञानिक और शोधकर्ता अपनी खोजों को स्पष्ट और सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसका सहारा लेते हैं. सरकारी योजनाओं और नीतियों को भी किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए यह महत्वपूर्ण होती है.

कृषि शब्दावली का महत्व शिक्षा क्षेत्र में भी है, जहां कृषि विज्ञान के छात्रों को विभिन्न तकनीकी शब्दों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है. यह उनके पेशेवर कौशल को मजबूत बनाता है और उन्हें कृषि क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने के लिए तैयार करता है.

सामान्य कृषि शब्दावली / General Agricultural Terms

1. Agriculture - कृषि
2. Farmer - किसान
3. Crop - फसल
4. Irrigation - सिंचाई
5. Soil - मिट्टी
6. Fertilizer - उर्वरक
7. Harvest – फसल, पैदावार
8. Yield - उपज
9. Plantation - वृक्षारोपण
10. Land – भूमि

कृषि के प्रकार / Types of Crops

11. Cash Crop - नगदी फसल
12. Cereal Crop - अनाज फसल
13. Cover Crop - आवरण फसल
14. Food Crop - खाद्यान्न फसल
15. Green Manure Crop - हरित खाद फसल
16. Horticultural Crop - उद्यानिकी फसल
17. Oilseed Crop - तिलहन फसल
18. Pulses - दालें
19. Seasonal Crop - मौसमी फसल
20. Rabi Crop - रबी फसल

मृदा एवं जल प्रबंधन / Soil and Water Management

21. Soil Erosion - मृदा अपरदन
22. Soil Fertility - मृदा उर्वरता
23. Soil Conservation - मृदा संरक्षण
24. Groundwater - भूजल
25. Drainage - जल निकासी
26. Canal - नहर
27. Reservoir - जलाशय
28. Rainwater Harvesting - वर्षा जल संचयन
29. Surface Water - सतही जल
30. Flood Irrigation - बाढ़ सिंचाई

कृषि औज़ार एवं मशीनें / Agricultural Tools and Machinery

31. Tractor - ट्रैक्टर
32. Plough - हल
33. Seeder - बीज बोने की मशीन
34. Harvester - हार्वेस्टर
35. Threshing Machine - थ्रेशिंग मशीन
36. Sprayer – छिड़काव यंत्र
37. Weeder - खरपतवार निकालने की मशीन
38. Irrigation Pump - सिंचाई पंप

39. Drip Irrigation System – ड्रिप सिंचाई प्रणाली
40. Composter - खाद बनाने की मशीन

कृषि पद्धतियाँ / Agricultural Practices

41. Organic Farming - जैविक खेती
42. Mixed Farming - मिश्रित खेती
43. Crop Rotation - फसल चक्र
44. Agroforestry - कृषि वानिकी
45. Precision Farming - सटीक खेती
46. Conservation Agriculture - संरक्षण कृषि
47. Sustainable Agriculture - सतत कृषि
48. Intercropping - अंतर-फसल
49. Monocropping - एकल फसल
50. Zero Tillage - शून्य जुताई

उर्वरक एवं रसायन / Fertilizers and Chemicals

51. Nitrogen Fertilizer - नाइट्रोजन उर्वरक
52. Phosphorous Fertilizer - फॉस्फोरस उर्वरक
53. Potash Fertilizer - पोटाश उर्वरक
54. Pesticide - कीटनाशक
55. HeRicide - शाकनाशी
56. Fungicide – फफूंद नाशक
57. Compost - जैविक खाद
58. Biofertilizer - जैव उर्वरक
59. Chemical Fertilizer - रासायनिक उर्वरक
60. Manure - खाद

पशुधन एवं पशुपालन / Livestock and Animal Husbandry

61. Dairy - डेयरी
62. Poultry – मुर्गीपालन
63. Sheep Farming - भेड़ पालन
64. Goat Farming - बकरी पालन
65. Cattle – मवेशी
66. Livestock Feed - पशु आहार
67. Silage – साइलेज
68. Milk Production - दुग्ध उत्पादन
69. Grazing Land - चरागाह
70. Veterinary Services - पशु चिकित्सा सेवा

आर्थिक एवं बाजार विषय / Economic and Market Terms

71. Agricultural Marketing - कृषि विपणन
72. Commodity Market – पण्य बाजार
73. Crop Insurance - फसल बीमा
74. Agricultural Loan - कृषि ऋण
75. Subsidy - सब्सिडी
76. Export - निर्यात
77. Import - आयात
78. Agro-Industry - कृषि उद्योग
79. Minimum Support Price - न्यूनतम समर्थन मूल्य
80. Market Price - बाजार मूल्य

पर्यावरणीय पहलू / Environmental Aspects

81. Climate Change - जलवायु परिवर्तन
82. Drought - सूखा
83. Flood - बाढ़
84. Soil Pollution - मृदा प्रदूषण
85. Water Scarcity - जल की कमी
86. Afforestation – वृक्षारोपण
87. Deforestation - वनों की कटाई
88. Greenhouse Gas - ग्रीनहाउस गैस
89. Biodiversity - जैव विविधता
90. Renewable Energy - अक्षय ऊर्जा

विविध / Miscellaneous

91. Organic Certification - जैविक प्रमाणन
92. Farming Techniques - खेती के तरीके
93. Hybrid Seed - संकर बीज
94. Pest Control - कीट नियंत्रण
95. Supply Chain - आपूर्ति श्रृंखला
96. Agri-Clinic - कृषि क्लिनिक
97. Extension Services - प्रसार सेवाएँ
98. Training Programs - प्रशिक्षण कार्यक्रम
99. Rural Development Officer - ग्रामीण विकास अधिकारी
100. Farm Mechanization - कृषि यंत्रीकरण

नरेंद्र कुमार
कृषि कारोबार विभाग,
कें.का.

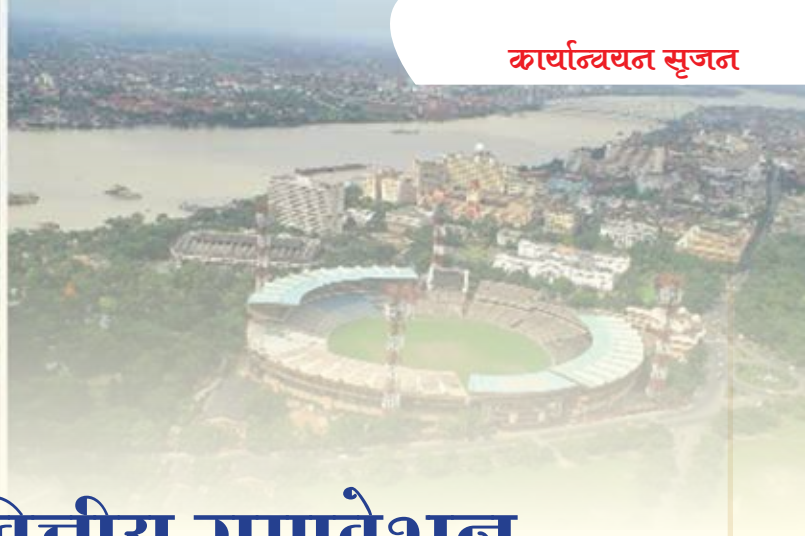

रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन विभाग की शब्दावली

रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सेवाएं प्रदान की जाती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित योजनाओं का प्राचुर्य देखा जा सकता है और अर्ध शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत सेवाओं का बाहुल्य. वित्तीय समावेशन का उद्देश्य दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में रहने वालों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए उन तक बैंकिंग के साथ-साथ अन्य वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है. इन सेवाओं में बुनियादी बैंकिंग, बीमा योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आदि शामिल हैं. बैंक में रुसू बैंकिंग से संबंधित शब्दों से परिचित कराने हेतु रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन विभाग में सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों एवं पदबंधों के हिंदी अर्थ का संकलन दिया गया है ताकि रुसू बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन विभाग में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सहज रूप में व्यवहार में लाया जा सके.

1. Access – अभिगम/ पहुँच
2. Acquirer – अर्जितकर्ता
3. Action taken report – कृत कार्रवाई रिपोर्ट
4. Adequacy – पर्याप्तता
5. Agri Loan – कृषि ऋण
6. Approved Limit – अनुमोदित ऋण – सीमा
7. APY Subscriber – एपीवाई अभिदाता/ग्राहक
8. Bank Mitra / Bank Sakhi – बैंक मित्र/बैंक सखी
9. Banking Penetration – बैंकिंग की पहुँच/पैठ
10. Base Branch – आधार शाखा/मूल शाखा
11. Basic Savings Bank Deposit Account – बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
12. Below Poverty Line – गरीबी रेखा से नीचे
13. Beneficiary – हिताधिकारी, लाभान्वित होनेवाले, लाभार्थी
14. Biometric Verification – बायोमेट्रिक सत्यापन
15. Bottleneck – बाधा
16. Branchless Banking – शाखा-रहित बैंकिंग
17. Branchless Banking Operations – शाखा-रहित बैंकिंग परिचालन
18. Brick and Mortar Banking – पारंपरिक बैंकिंग, भौतिक शाखा बैंकिंग
19. Camp - शिविर
20. Campaign – अभियान
21. Cash In Transactions – आवक लेन-देन
22. Cash Out Transactions – जावक लेन-देन
23. Cash Verification – रोकड़/नकदी का सत्यापन
24. Circular Transaction – चक्रिय लेन-देन
25. Cluster of Villages – ग्राम समूह/ क्लस्टर
26. Commission – कमीशन
27. Customer Centric approach – ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण
28. Customer Footfall – शाखा में ग्राहक आगमन
29. Customer Service Points – ग्राहक सेवा केंद्र
30. Death Claims – मृत्यु दावा
31. Deduplication Check – दोहराव निवारण जांच
32. Delivery Channels – सुपुर्दगी चैनल
33. Discrepancies - विसंगति
34. Disincentives - निरुत्साहन, अवप्रेरण, अवप्रेरक

35. Due Diligence – समुचित सावधानी
36. Economic Development – आर्थिक विकास
37. Economic Incentive – आर्थिक प्रोत्साहन
38. Economic Welfare – आर्थिक कल्याण
39. Enrollment – नाम दर्ज करना, नामांकन
40. Exit Processing – निकास प्रसंस्करण
41. Financial Literacy – वित्तीय साक्षरता
42. Financial Literacy Counsellor - वित्तीय साक्षरता सलाहकार/परामर्शदाता
43. Financial Vulnerability – वित्तीय सुभेद्यता, वित्तीय असुरक्षितता
44. Government Schemes – सरकारी योजनाएँ
45. Hamlet – कस्बा
46. Hilly Areas – पहाड़ी क्षेत्र
47. Issuer – जारीकर्ता
48. Know Your Agent – अपने एजेंट को जानिए
49. Landless Labourers – भूमिहीन श्रमिक
50. Lead District – अग्रणी जिला
51. Lead Generator – कारोबार अभिप्रेरक
52. Liaison - संपर्क
53. Lien Period - ग्रहणाधिकार अवधि
54. Livelihood – जीविका
55. Loan Request – ऋण आवेदन
56. Low Cost – अल्प लागत
57. Low Income Group – निम्न आय वर्ग
58. Low Ticket Transactions – कम कीमती लेन-देन
59. Marginal Farmer – सीमांत किसान/कृषक
60. Micro Finance – सूक्ष्म/ व्यष्टि वित्त
61. Micro Lending – सूक्ष्म उधार
62. Mobile Seeding – मोबाइल सीडिंग
63. Money Mule account – अपराधियों के मध्यस्थ खाता
64. Monitoring – निगरानी, जांच
65. No Frills Account – सादा खाता, सीमित सुविधा खाता, नो फ्रिल्स खाता
66. Nodal Agency – केंद्रीय एजेंसी
67. Nominal Wage- असमायोजित मजदूरी
68. Non-disclosure Agreement – अप्रकटीकरण करार
69. Outreach programme - लोकसंपर्क कार्यक्रम
70. Parameters – मापदंड
71. Penalty - दंड
72. Premium – किस्त, प्रीमियम, बढ़ौती, अधिमूल्य
73. Publicity – प्रचार
74. Quorum – गणपूर्ति, कार्यवाह संख्या, कोरम
75. Regional Rural Banks – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
76. Remittance – धन-प्रेषण/विप्रेषण
77. Resolution – संकल्प, समाधान, विघटन, रेजल्यूशन
78. Service Level Agreement – सेवा स्तरीय करार
79. Service Provider – सेवा प्रदाता
80. Service Standards – सेवा मानक
81. Simplified KYC – सरलीकृत केवाईसी
82. Single Point Access – एकल बिंदु पहुँच
83. Single Point of Contact – एकल बिंदु संपर्क
84. Skill Development – कौशल विकास
85. Small Accounts – अल्प खाता/लघु खाता
86. Social Security Schemes – सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
87. Special Projects – विशेष परियोजनाएं
88. Stakeholder – पणधारक, हितधारक
89. Sub Service Area – उप सेवा क्षेत्र
90. Supervision - पर्यवेक्षण
91. Surprise Visit – आकस्मिक दौरा
92. Suspicious Transactions – संदेहजनक लेन-देन
93. Targets – लक्ष्य
94. Thrift Deposits – किफायती बचत जमाराशियाँ
95. Unbanked - बैंक – रहित
96. Universal Banking - सर्वव्यापी बैंकिंग
97. User Friendly Interface – प्रयोक्ता -अनुकूल इंटरफेस
98. Usurious Loan – अतिब्याजी ऋण
99. Verifier Help Desk – सत्यापक सहायता केंद्र
100. Voice Guidance – ध्वनि मार्गदर्शन

एम. एस. ठाकूर
यूनियन धारा, कें. का.

वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूह की भूमिका

वित्तीय समावेशन का तात्पर्य सभी नागरिकों को वित्तीय सेवाओं की पहुँच उपलब्ध कराने से है, ताकि वे अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकें और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकें. यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से बाहर हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग, महिलाएँ और अन्य वंचित वर्ग. इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्वयं सहायता समूह न केवल गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सशक्त भी बनाते हैं.

स्वयं सहायता समूह एक छोटे, स्वयं-निर्मित, स्व-प्रबंधित संगठन होते हैं, जो समान सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा गठित किए जाते हैं. इन समूहों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की सामूहिक रूप से एकजुटता बढ़ाना, एक-दूसरे को आर्थिक मदद प्रदान करना और समूह के सदस्यों को स्वयं के विकास के लिए प्रोत्साहित करना होता है. स्वयं सहायता समूह आमतौर पर महिलाओं, किसानों, छोटे व्यापारी और अन्य वंचित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि वे अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से काम कर सकें.

वित्तीय समावेशन में एसएचजी का महत्व

1. वित्तीय सेवाओं तक पहुँच: स्वयं सहायता समूह गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में मदद करते हैं. ये समूह बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को सूक्ष्म ऋण, बचत, बीमा, और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. यह वित्तीय समावेशन का पहला कदम है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर रहने वाले लोगों को मुख्यधारा के वित्तीय नेटवर्क में जोड़ता है.

2. सामूहिक बचत और ऋण: स्वयं सहायता समूहों के सदस्य सामूहिक रूप से छोटी-छोटी बचत करते हैं, जिसे बाद में ऋण के रूप में उधार लिया जा सकता है. इस प्रक्रिया के माध्यम से, सदस्यों को उच्च ब्याज दरों के ऋण से बचने का अवसर मिलता है और वे बेहतर शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं. यह प्रक्रिया सदस्यों को वित्तीय अनुशासन और बचत की आदत डालने में मदद करती है.

3. महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान: स्वयं सहायता समूह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण का साधन बने हैं. महिलाओं को पारंपरिक रूप से वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है, और वे अक्सर परिवार की आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होतीं. स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर प्रदान किया है, जिससे उन्हें वित्तीय निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला है.

4. समूह के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है. जब एक सदस्य को किसी आपातकालीन स्थिति या वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, तो समूह के सदस्य मिलकर सहायता प्रदान करते हैं. इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों को प्राय: सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ भी मिलता है, जो इन समूहों के माध्यम से सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचते हैं.

5. सूक्ष्म वित्त का प्रचार: स्वयं सहायता समूहों की सफलता का मुख्य कारण सूक्ष्म वित्त मॉडल है, जो छोटे ऋणों के द्वारा ग्रामीण और गरीब समुदायों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करता है. यह मॉडल बड़ी-बड़ी वित्तीय संस्थाओं के बजाय छोटे और विकेंद्रित ऋणों के माध्यम से काम करता है. स्वयं सहायता समूहों छोटे, सुरक्षित, और सस्ती ऋण सेवाएँ प्रदान कर के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं.

एसएचजी और वित्तीय समावेशन के बीच का संबंध

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग, विशेषकर गरीब और वंचित समुदाय, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सकें. स्वयं सहायता समूह इस उद्देश्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी

बनकर उभरे हैं. ये समूह न केवल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, उन लोगों को जो पारंपरिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच मिलती है.

साथ ही, स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी वित्तीय समावेशन को न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण न केवल उनके परिवारों और समुदायों की भलाई में योगदान करता है, बल्कि यह समग्र राष्ट्रीय विकास में भी अहम भूमिका निभाता है.

एसएचजी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लाभ

1. आर्थिक स्थिरता: स्वयं सहायता समूहों छोटे ऋण और बचत योजनाओं के माध्यम से सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आय में सुधार होता है और वे वित्तीय संकटों से निपटने के लिए बेहतर तैयार होते हैं.

2. बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच: स्वयं सहायता समूहों के सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े होते हैं, जिससे उन्हें ब्याज दरों में छूट और आसान ऋण मिलते हैं. इसके अलावा, एचएसजी के माध्यम से लोगों को वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी भी मिलती है, जैसे कि बीमा योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ और निवेश उत्पाद.

3. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता: एचएसजी के सदस्य आमतौर पर अपनी आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र होते हैं और वे अपने समूह के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं. यह आत्मनिर्भरता उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाती है.

4. सामाजिक समावेश: स्वयं सहायता समूहों सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये समुदायों में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं. इन समूहों के माध्यम से, सदस्य न केवल आर्थिक रूप से एक-दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि वे सामाजिक रूप से भी एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं.

अंतत: स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इन समूहों के माध्यम से गरीब, महिला, और हाशिए पर रहने वाले लोग वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं. स्वयं सहायता समूह न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में समानता, सामूहिकता और सशक्तिकरण की भावना को भी बढ़ाते हैं. इनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. इन समूहों की सफलता को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन के सशक्त साधन बने हैं और भविष्य में भी इनका महत्व बढ़ता जाएगा.

राजेश कुमार
अं. प्र., लखनऊ

वित्तीय समावेशन एवं उसका महत्व

वित्तीय समावेशन का अर्थ है सभी व्यक्तियों और व्यवसायों को सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाओं, जैसे बचत, ऋण, बीमा और भुगतान सेवाओं, तक पहुँच प्रदान करना. इस पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं, जो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हैं. वित्तीय समावेशन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें न केवल वित्तीय सेवाओं की पहुँच बढ़ाना, बल्कि इन सेवाओं की उपयोगिता और सामर्थ्य को भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है. वित्तीय समावेशन का उद्देश्य सभी व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है, खासकर उन लोगों को जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से वंचित हैं. यह समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो सकता है. इसके विभिन्न पहलुओं को पहचानते हुए, इसे एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है. वित्तीय समावेशन का महत्व आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक है, और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों और विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

भारत में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और गरीबी उन्मूलन के लिए एक आवश्यक तत्व है.

वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सभी लोगों, विशेष रूप से गरीब और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो. इसका उद्देश्य न केवल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना है, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है.

भारत में वित्तीय समावेशन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है:

1. आर्थिक विकास में योगदान: जब लोगों को बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच होती है, तो वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और छोटे व्यापार स्थापित करने में सक्षम होते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है.

2. गरीबी उन्मूलन: वित्तीय समावेशन गरीब लोगों को ऋण, बचत, और बीमा जैसी सेवाओं का लाभ देता है, जिससे उन्हें अपने जीवन स्तर को सुधारने और आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलती है.

3. समानता और समावेशिता: भारत में ग्रामीण, महिला, दलित, आदिवासी और अन्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बहुत सीमित रही है. वित्तीय समावेशन इन वर्गों के लिए समान अवसर और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

4. डिजिटल वित्तीय सेवाओं का प्रसार: वित्तीय समावेशन के जरिए डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन जैसी सेवाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे वित्तीय सेवाओं का उपयोग अधिक सहज और सुलभ हो रहा है.

5. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा: बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से लोगों को अपने धन की सुरक्षा और पारदर्शिता मिलती है. साथ ही, यह आर्थिक प्रणाली को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाता है.

इन कारणों से, भारत में वित्तीय समावेशन को एक प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है, और सरकार ने विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से इसे बढ़ावा दिया है.

भारत में वित्तीय समावेशन संबंधी सरकार की योजनाएं

भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं. ये योजनाएं विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं. नीचे कुछ प्रमुख योजनाएं दी गई हैं:

1. "प्रधानमंत्री जन धन योजना"

यह योजना 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है. इसके तहत, निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोलने की सुविधा.
- रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा.
- ओवरड्राफ्ट सुविधा (शर्तों के तहत).
- वित्तीय सुरक्षा के लिए बीमा कवर.

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

यह योजना किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इसके तहत, सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना रु.6,000 की सहायता देती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी आय बढ़ाना है.

3. मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे और मंझले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसके तहत तीन श्रेणियों (शिशु, किशोर, तरुण) में ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना व्यापार शुरू कर सकें या उसे बढ़ा सकें. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई संपत्ति या गारंटी नहीं है.

4. सहज

यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है. इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे लोग अपने बैंकिंग कार्यों को सरलता से कर सकें.

5. राष्ट्रीय पेंशन योजना

यह योजना भारतीय नागरिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. यह योजना विशेष रूप से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा देती है.

6. किसान क्रेडिट कार्ड

यह योजना किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है. केसीसी के माध्यम से किसान आसानी से कृषि कार्य के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके खेती के काम को सुगम बनाता है.

7. अटल पेंशन योजना

यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है. इसके तहत, लोगों को मासिक पेंशन प्राप्त करने का अवसर मिलता है. यह योजना 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए खुली रहती है.

8. स्वावलंबन योजना

यह योजना विशेष रूप से युवाओं के लिए है, ताकि वे अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकें और छोटे उद्यम स्थापित कर सकें. इसके तहत, बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है.

9. भारत नेट योजना

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत नेट योजना शुरू की. इसके तहत, गांवों में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को डिजिटल वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें.

10. फिनटेक पहल

सरकार डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक क्षेत्र में कई पहल कर रही है. उदाहरण के लिए, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जैसी पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं.

इन योजनाओं का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, और देश के विकास में हर नागरिक को भागीदार बनाना है.

वित्तीय समावेशन का महत्व

1. आर्थिक विकास को बढ़ावा

वित्तीय समावेशन से लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, छोटे और मंझले व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और अपनी जीवनशैली में सुधार ला सकते हैं. इससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, जो अंततः देश की जीडीपी में वृद्धि करती है. इसके अलावा, यह नौकरी सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है.

2. गरीबी उन्मूलन और समृद्धि

जब गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने, शिक्षा प्राप्त करने, स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं प्राप्त करने, और अन्य जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए संसाधन मिलते हैं. इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, और यह गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. माइक्रोफाइनेंस और माइक्रोइंश्योरेंस जैसी योजनाएं इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं.

3. सामाजिक समावेशन

वित्तीय समावेशन से समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, और ग्रामीण आबादी को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलता है. यह उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का माध्यम बनता है. जब इन समुदायों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलती है, तो यह समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देता है.

4. आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण

वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आत्मनिर्भर बन सकता है. माइक्रो क्रेडिट और स्मॉल ऋण जैसी योजनाएं व्यक्तियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने का अवसर देती हैं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं. इससे उनका सशक्तिकरण होता है, खासकर महिलाओं और ग्रामीण समुदायों में.

5. आर्थिक असमानता को कम करना

वित्तीय समावेशन से आर्थिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है. जब गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है. यह वृद्धि और वितरण की नीति के अनुकूल है, जिससे समग्र विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में योगदान मिलता है.

6. निवेश और बचत को प्रोत्साहित करना

वित्तीय समावेशन से लोग निवेश करने और बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं. जब व्यक्ति बैंक खातों, बीमा, पेंशन योजनाओं और अन्य वित्तीय उपकरणों का उपयोग करता है, तो यह उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाता है. इसके साथ ही, यह देश के वित्तीय बाजार को मजबूत करता है और देश में निवेश की दर को बढ़ावा देता है.

7. वित्तीय साक्षरता में वृद्धि

वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को वित्तीय साक्षरता की दिशा में भी जागरूक किया जाता है. यह लोगों को बजट, बचत, ऋण प्रबंधन और निवेश जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों के बारे में जानकारी देता है. इससे उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता मिलती है.

8. विपत्ति और संकट से सुरक्षा

वित्तीय समावेशन के तहत, लोग बीमा और आपातकालीन निधि जैसी सेवाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में आने वाली आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं. यह उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके पास स्थिर आय नहीं होती.

9. उपभोक्ता संरक्षण और विश्वास

वित्तीय समावेशन से उपभोक्ताओं को वित्तीय संस्थाओं पर भरोसा बढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और संरक्षित होती हैं. इसके परिणामस्वरूप, लोग वित्तीय धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं.

10. वैश्विक विकास एजेंडा में योगदान

वित्तीय समावेशन से जुड़े कई लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शामिल किया गया है. लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन), लक्ष्य 5 (महिला सशक्तिकरण) और लक्ष्य 10 (आर्थिक असमानता कम करना) जैसे लक्ष्य वित्तीय समावेशन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं.

निष्कर्ष: वित्तीय समावेशन का महत्व न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि के लिए भी अत्यधिक है. यह गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है. इसके माध्यम से एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण संभव है, जहां हर व्यक्ति को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिल सके.

सुनिल साव
क्षे. का., दुर्गापुर

रुसू: बैंकिंग का नया अध्याय

ग्रामीण और अर्ध-शहरी (रुसू) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का चालक है. यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए धन के आवंटन के लिए भी इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है. भारत की 50% से अधिक आबादी रुसू क्षेत्रों में रहती है. इसके अलावा यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25-30% योगदान करता है. रुसू क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने भी रुसू बैंकिंग के निरंतर विकास और लाभप्रदता के लिए एक रणनीति बनाई है. यह इससे भी पता चलता है कि निजी क्षेत्र के एच डी एफ सी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में 600 शाखाएँ सिर्फ़ रुसू क्षेत्र में ही खोली हैं. यूनियन बैंक ने भी रुसू क्षेत्रों के बैंकिंग व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रीमियम शाखाएँ खोली हैं. इन क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश आबादी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने, जोखिम में विविधता लाने और बैंकों को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ़आई-सूचकांक) मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 तक 64.2 पर पहुंच गया, जो अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों तक पहुँचने में पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है.

रुसू बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने से बैंकिंग क्षेत्र को अनेक लाभ होते हैं. रणनीतिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंकों द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं.

रुसू बैंकिंग के रणनीतिक लाभ

क. जमा संग्रहण

रुसू क्षेत्र विशेष रूप से खुदरा बैंकिंग के लिए एक व्यापक ग्राहक आधार प्रदान करता है. इन क्षेत्रों का लाभ उठाकर बैंक बचत और सावधि जमा के माध्यम से अपने जमा आधार को आसानी से बढ़ा सकते हैं. शहरी और मेट्रो क्षेत्र के ग्राहक "पहले उपयोग करें - बाद में भुगतान करें" मॉडल पर चल रहें हैं, जहाँ बचत कम होती है; लेकिन रुसू ग्राहक नियमित रूप से बचत करते हैं तथा एक स्थिर और कम लागत वाले जमा आधार पर विश्वास करते हैं जो बैंक की चलनिधि को मजबूत और कम लागत जमा को बढ़ाता है. 18 दिसम्बर 2024 तक, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए लगभग 54.25 करोड़ खातों में से लगभग 36.12 करोड़ खाते रुसू क्षेत्रों से थे, जो इन क्षेत्रों में बचत की अपार क्षमता को दर्शाता है.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

(सभी आंकड़े करोड़ में) 18/12/2024 तक लाभार्थी

बैंक का नाम / प्रकार	कुल खातों की संख्या	रुसू शाखाओं में खाते (संख्या)	रुसू शाखाओं में खाते (%)	शहरी/ मेट्रो केंद्रों में खाते	लाभार्थियों को जारी किए गए रुपे डेबिट कार्डों की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	42.26	26.53	62.78	15.73	32.02
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10.13	8.67	85.59	1.46	3.67
निजी क्षेत्र के बैंक	1.68	0.73	43.45	0.95	1.38
ग्रामीण सहकारी बैंक	0.19	0.19	100.00	0.00	0.00
कुल योग	54.26	36.12	66.57	18.14	37.08

(स्रोत - पीएमजेडीवाई वेबसाइट)

ख. ऋण वितरण

रुसू क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें आसानी से ऋण नहीं मिलता है जबकि, शहरी और मेट्रो केंद्रों में रहने वाले लोगों के पास ऋण तक पहुंच काफी आसान है. इसका एक कारण यह है कि रुसू क्षेत्रों में ग्राहकों के बीच जागरूकता का अभाव और ऋण स्वीकृति में बैंक उदासीन हैं. यह रुसू क्षेत्र के लोगों को साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर करता है जहाँ ब्याज दर 60% प्रति वर्ष तक हो सकती है.

आंकड़ों से यह पता चलता है कि ये क्षेत्र कृषि और छोटे व्यवसायों के केंद्र हैं, जहां बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार कर सकते हैं. यह विविधता न केवल अल्पसेवित बाजारों को खोल सकता है बल्कि बेहतर जोखिम प्रबंधन भी सुनिश्चित करता है. उदाहरण के लिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को वित्तपोषित करने से किसानों को फसल ऋण, सिंचाई वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता मिलती है. इन क्षेत्रों में बढ़ती जागरूकता और आकांक्षाओं के साथ, बीमा, पेंशन योजनाओं और निवेश योजनाओं जैसे वित्तीय उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है, जो बैंकों को अतिरिक्त राजस्व प्रदान करती हैं. लेकिन, बैंकों को भी इन क्षेत्रों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी सकारात्मक होना चाहिए.

उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए गए सूक्ष्म ऋण ग्रामीण आर्थिक गतिविधि को बढ़ाते हैं और इनमें

साधारणत: डिफ़ॉल्ट दर भी कम होती है. सिडबी माइक्रो फाईनांस पल्स रिपोर्ट के 20वें संस्करण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक माइक्रो फाइनेंस उद्योग का पोर्टफोलियो शेष ₹3,77,706 करोड़ है, जिसमें 1,238 लाख सक्रिय ऋण और 6.6 करोड़ सक्रिय उधारकर्ता हैं.

आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को कुल निवल बैंक ऋण का कम से कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने और 7.5% सूक्ष्म इकाइयों के उप-लक्ष्य के लिए अनिवार्य किया है. रुसू क्षेत्रों में अधिक प्रवेश करके ऋण देने के माध्यम से, बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी आसानी होगी.

ग. लाभप्रदता

रुसू बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने से बैंकों के लिए लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है. प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग समाधानों में प्रगति ने परिचालन व्यय को कम कर दिया है जिसके कारण बैंक अपनी शाखा को कम कर्मचारियों से भी चला सकते हैं. कृषि ऋण, लघु उद्योग ऋण, माइक्रोफाइनेंस जैसे अनुकूलित वित्तीय उत्पाद अक्सर बैंकों को आकर्षक ब्याज दर प्रदान करते हैं. इसके अतिरिक्त, शुरुआत में उस क्षेत्र में शाखा खोलने पर बैंक की लाभप्रदता को बढ़ाता है. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और एजेंट बैंकिंग मॉडल सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए भौतिक शाखाओं की आवश्यकताओं को कम कर रहे हैं. ये मॉडल बुनियादी ढांचे की लागत को कम करते हैं, जिससे बैंकों को पूर्ण पैमाने पर शाखा बुनियादी ढांचे में निवेश किए बिना कुशलतापूर्वक संचालन करने की अनुमति मिलती है. एजेंट दूरदराज के स्थानों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जहां शाखा की उपस्थिति अव्यावहारिक है, जिससे डोरस्टेप बैंकिंग और व्यक्तिगत ग्राहक सहायता की सुविधा मिलती है.

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने से बैंक दीर्घकालिक संबंध बना सकते हैं. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और सुलभ ऋण सुविधाओं जैसी पहल एक सकारात्मक ब्रांड छवि में योगदान प्रदान करती हैं और ग्रामीण आबादी के बीच विश्वास को बढ़ावा देती हैं. समय के साथ, यह विश्वास सुनिश्चित करता है कि बैंक कई पीढ़ियों के लिए पसंदीदा वित्तीय भागीदार बने, जिससे ग्राहक स्थिरता और बाजार हिस्सेदारी दोनों में वृद्धि होती है.

ग्रामीण बैंकिंग में तकनीकी लाभ

प्रौद्योगिकी के कारण रुसू बैंकिंग में बदलाव आ रहा है. बैंक भौतिक शाखाओं पर निर्भरता को कम करके सेवा वितरण की लागत को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठा रहे हैं. मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग बार-बार शाखा जाने की ज़रूरत समाप्त कर देती है, इससे ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं. स्थानीय भाषा के साथ सरल इंटरफ़ेस इन प्लेटफ़ॉर्म को ग्रामीण आबादी के लिए सुलभ बनाते हैं, जबकि बायोमेट्रिक-सक्षम एटीएम और पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस सुरक्षा और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करते हैं.

ग्रामीण ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार को समझने में डेटा एनालिटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. बैंक इन जानकारियों का उपयोग मौसम-सूचक फसल बीमा या त्यौहार-विशिष्ट बचत योजनाओं जैसे अनुकूलित उत्पाद बना सकते हैं.

फिनटेक फर्मों के साथ साझेदारी से बैंकों को लॉजिस्टिक चुनौतियों से पार पाने और ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं में नवाचार करने में भी मदद मिल रही है. डिजिटल वॉलेट विशेष रूप से छोटे पैमाने के व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए माइक्रोट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि एआई-संचालित क्रेडिट स्कोरिंग सीमित वित्तीय इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए भी क्रेडिट पात्रता का आकलन करती है. क्यूआर कोड जैसे मोबाइल-आधारित भुगतान समाधान कैशलेस लेनदेन को सक्षम करते हैं, जिससे बैंकिंग रहित क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा मिलता है.

पीएमजेडीवाई और मुद्रा योजना जैसी सरकारी पहलों में भागीदारी से बैंकों को सब्सिडी वाले ऋण उत्पादों के साथ अपने ग्राहक आधार का विस्तार करके लाभ होता है. ये योजनाएं नए ग्राहकों को आकर्षित करते हुए बैंकों के जोखिम को भी कम करती हैं. इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं और उन्हें नियामक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं.

रुसू बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त

ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति स्थापित करने वाले बैंकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है. पहले कदम उठाने का लाभ बैंकों को स्थायी ग्राहक आधार बनाने, स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करने और अल्पसेवित बाजारों में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करता है. क्षेत्रीय बारीकियों से परिचित होने से सेवा में सुधार होता है, प्रतिस्पर्धियों के लिए बाधाएं पैदा होती हैं और दीर्घकालिक बाजार हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है.

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती क्रय शक्ति क्रॉस-सेलिंग और अप-सेलिंग के लिए भी संभावनाएं प्रदान करती है. बैंक निवेश से जुड़े बचत खातों को बढ़ावा दे सकते हैं, आकर्षक रिटर्न के साथ बचत को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और गृह ऋण और वाहन वित्तपोषण जैसे प्रभावी उत्पाद पेश कर सकते हैं. जैसे-जैसे आय बढ़ती है, ग्राहकों को कैशलेस लेन-देन के लाभों के बारे में शिक्षित करने से नए राजस्व स्रोत खुलते हैं और ग्राहक संबंध मजबूत होते हैं.

चुनौतियाँ और न्यूनीकरण रणनीतियाँ

अपनी क्षमता के बावजूद, रुसू बैंकिंग को बुनियादी ढांचे की कमी, कम वित्तीय साक्षरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. खराब कनेक्टिविटी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा निर्बाध सेवा वितरण में बाधा डालता है. बैंक डिजिटल और उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी समाधानों में निवेश करके इन मुद्दों को कम कर सकते हैं. रुसू आबादी में

वित्तीय साक्षरता की कमी को देखते हुए लक्षित वित्तीय साक्षरता अभियान और कार्यशालाओं की आवश्यकता है जिसके कारण बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ग्राहकों को शिक्षित करने से स्वीकृति और विश्वास को बढ़ावा मिलता है. उच्च परिचालन लागतों को शाखा रहित बैंकिंग मॉडल और डिजिटल समाधानों को अपनाकर संबोधित किया जा सकता है, जो निश्चित खर्चों को काफी कम करते हैं और दक्षता में सुधार करते हैं.

निष्कर्ष : रुसू बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय बैंकों को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं. बैंक देश के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अवसरों को लाभ उठाकर, प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देकर वित्तीय उत्पादों को अनुकूलित करके और अभिनव मॉडलों के माध्यम से पहुंच का विस्तार करके, बैंक न केवल लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित कर सकते हैं. रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ, ग्रामीण बैंकिंग भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए विकास की आधारशिला बन सकती है, जिससे संस्थानों और अर्थव्यवस्था के लिए पारस्परिक लाभ सुनिश्चित हो सकता है.

मास्टर अभिषेक
यूबीकेसी, बेंगलूरु

क्या दिक्कत है?

हीट को ताप कहने में।
यू को आप कहने में।
स्टीम को भाप कहने में।
करेज को प्रताप कहने में।

क्या दिक्कत है ?

बैड को ख़राब कहने में।
ड्रीम को ख़्वाब कहने में।
बुक को किताब कहने में।
सॉक्स को ज़ुराब कहने में।

क्या दिक्कत है ?

डिच को खाई कहने में।
आंटी को ताई कहने में।
बार्बर को नाई कहने में।
कुक को हलवाई कहने में।

क्या दिक्कत है ?

इनकम को आय कहने में।
जस्टिस को न्याय कहने में।
एडवाइज़ को राय कहने में।
टी को चाय कहने में।

क्या दिक्कत है ?

फ़्लैग को झंडा कहने में।
स्टिक को डंडा कहने में।

कोल्ड को ठंडा कहने में।
ऐग को अंडा कहने में।

क्या दिक्कत है ?

स्मॉल को छोटी कहने में।
फैट को मोटी कहने में।
टॉप को चोटी कहने में।
ब्रेड को रोटी कहने में।

क्या दिक्कत है ?

ब्लैक को काला कहने में।
लॉक को ताला कहने में।
बाउल को प्याला कहने में।
जेवलीन को भाला कहने में।

क्या दिक्कत है ?

लॉस को घाटा कहने में।
मील को आटा कहने में।
प्रोंग को काँटा कहने में।
स्लेप को चाँटा कहने में।

क्या दिक्कत है ?

टीम को टोली कहने में।
रूम को खोली कहने में।
पेलेट को गोली कहने में।
ब्लाउज़ को चोली कहने में।

क्या दिक्कत है ?

ब्रूम को झाड़ कहने में।
माउंटेन को पहाड़ कहने में।
रोर को दहाड़ कहने में।
हैक को जुगाड़ कहने में।

क्या दिक्कत है ?

नाईट को रात कहने में।
राइस को भात कहने में।
टॉक को बात कहने में।
गिफ्ट को सौगान कहने में।

क्या दिक्कत है ?

चिल्ड्रेन को संतान कहने में।
ग्रेट को महान कहने में।
मैन को इंसान कहने में।
गॉड को भगवान कहने में।

क्या दिक्कत है ?

गुलशन किलानिया
जुआरी नगर शाखा,
क्षे.का., गोवा

वित्तीय समावेशन का आरंभ एवं राष्ट्रीय अनुश्रवण

वित्तीय समावेशन एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना शामिल है. भारत में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में वर्ष 1969 में बैंको के राष्ट्रीयकरण से इसका आरंभ हो गया था परंतु वृहद स्तर पर वित्तीय समावेशन का आरंभ अथवा भारत के आम जनमानस तक इसकी पहुँच "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के कारण हुई, जो वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है. "प्रधानमंत्री जन धन योजना" की घोषणा 15 अगस्त, 2014 को की गई थी, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध करा के, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और बैंकिंग पहुंच बढ़ाना है. यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है, अगस्त 2024 तक "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के तहत 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं. वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति भी भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस रणनीति का उद्देश्य किफायती तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा बनाना और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है. भारत में वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चालक है, जिसका लक्ष्य सभी नागरिकों, विशेष रूप से कम आय वाले लोगों को सुलभ और किफ़ायती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है.

भारत में वित्तीय समावेशन हेतु प्रमुख पहल निम्न हैं:

"प्रधानमंत्री जन धन योजना": 2014 में शुरू की गई, "प्रधानमंत्री जन धन योजना" दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जिसका लक्ष्य भारत के हर घर को बैंक खाता उपलब्ध कराना है. यह योजना प्रत्येक लाभार्थी को बैंकिंग खाता, डेबिट कार्ड तथा दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराती है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है. यह योजना गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्रों में लगे आय पैदा करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को रु.10 लाख तक के सूक्ष्म ऋण/ऋण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं. यह योजना सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु संस्थाओं की गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र की आय पैदा करने वाली गतिविधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

इन सूक्ष्म एवं लघु संस्थाओं में लाखों स्वामित्व/साझेदारी फर्म शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक ऑपरेटर, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन ऑपरेटर, लघु उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता और अन्य के रूप में काम कर रही हैं.

मुद्रा ऋण योजना को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि विभिन्न प्रकार के व्यवसायी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण प्राप्त कर सकें. ये श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

शिशु ऋण: इस श्रेणी में ऋण की अधिकतम राशि रु.50,000 होती है. यह उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है.

किशोर ऋण: इस श्रेणी में ऋण की सीमा रु.50,001 से लेकर रु.5 लाख तक होती है. यह उन व्यापारियों के लिए है, जिनके पास पहले से एक छोटा व्यवसाय है और वे उसे बढ़ाना चाहते हैं.

तरुण ऋण: इस श्रेणी में ऋण की राशि रु.5 लाख से लेकर रु.10 लाख रुपये तक होती है. यह उन व्यापारियों के लिए है, जो बड़े पैमाने पर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या वर्तमान में चल रहे व्यवसाय को विस्तार देना चाहते हैं.

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस: यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम(एनपीसीआई) द्वारा विकसित एक त्वरित प्रणाली हैं, आज के इस आधुनिक युग में स्मार्टफ़ोन के जरिए 24 घंटे त्वरित भुगतान प्रदान करके यूपीआई ने भारत में डिजिटल लेन-देन को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया है, आज दूसरे देश के लोग जब हमारे देश में भारत की गलियों में क्यूआर कोड पर भुगतान करते हैं, तो आश्चर्य चकित दिखाई देते है यह एक ऐसी भुगतान प्रक्रिया है, जिसने डिजिटल लेन-देन को सुगम बना दिया है.

बैंकिंग प्रतिनिधि: बैंकिंग प्रतिनिधियों के ज़रिए दूरदराज, बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है जो जमा, निकासी, माइक्रोफ़ाइनेंस ऋण और आवश्यक बैंकिंग कार्यों को संभालते हैं. इन प्रतिनिधियों को बैंकिंग मित्र के नाम से भी जाना जाता हैं. इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंको के लिए वर्ष 2006 में ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा को प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था.

किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों को उनकी अल्पकालिक और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल

बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी. इससे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि इनपुट खरीदने में मदद मिलती है.

केसीसी में फसल कटाई के बाद के खर्च, उपभोग की ज़रूरतें, कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरतों में निवेश को भी शामिल किया जाता है. इस योजना को वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा लागू किया जाता है. केसीसी योजना के ज़रिए किसानों को नियमित बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की उच्च ब्याज दरों से छूट दी जाती है. केसीसी के लिए ब्याज दरें 7% होती हैं. यह कम ब्याज दर किसानों को ऋण चुकाने में मदद करती है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति भारत में वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय अनुश्रवण की नीतियों के दृष्टिकोण और प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित करती है. इस रणनीति का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्रवाई के अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का विस्तार और उसे बनाए रखना है.

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

वित्तीय शिक्षा और साक्षरता

वित्तीय शिक्षा और साक्षरता का तात्पर्य वित्तीय शिक्षा और कार्यक्रम प्रदान करना है जो व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय ज्ञान और कौशल से सक्षम करते हैं. यह उन्हें सूचित निर्णय लेने, प्रभावी ढंग से बजट बनाने और अनौपचारिक या संभावित रूप से शोषणकारी विकल्पों पर निर्भर रहने के बजाय औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने के लाभों को समझने में सक्षम बनाता है. कुछ मामलों में, व्यक्तियों के पास बुनियादी वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को सीखने के लिए उचित शैक्षिक पहुँच नहीं थी.

सस्ती और सुलभ बैंकिंग सेवाएँ

किफायती और सुलभ बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त व्यक्ति औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग ले सकें. बिना किसी तामझाम के बचत खाते और कम लागत एवं लेन-देन वाले खाते प्रदान करना जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है. यह वित्तीय बचत को बढ़ावा देता है और वित्तीय सुरक्षा (वैचारिक और शारीरिक दोनों रूप से) को लागू करता है.

समावेशी क्रेडिट स्कोरिंग

पारंपरिक क्रेडिट स्कोरिंग मैट्रिक्स सीमित क्रेडिट इतिहास वाले लोगों को अलग कर सकते हैं या उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं. वित्तीय समावेशन वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग विधियों का पता लगाने का प्रयास करता है जो गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों पर विचार करते हैं और सीमित क्रेडिट इतिहास वाले लोगों को क्रेडिट तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं. क्रेडिट आकलन में उपयोगिता बिल भुगतान या किराये के इतिहास जैसे कारकों को शामिल करने से अधिक व्यक्तियों को क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिलती है, जिससे वित्तीय और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलता है.

रणनीतिक स्तंभों में सार्वभौमिक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करना, आवश्यक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना, आजीविका और कौशल विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा को बढ़ाना, शिकायत निवारण के साथ ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा करना और प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है.

आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है, जो भारत की विशाल आबादी की विविध चुनौतियों और अवसरों के बीच सभी को, विशेष रूप से हाशिए पर और कम आय वाली आबादी को सुलभ और किफ़ायती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करता है.

निष्कर्ष : भारत जैसे-जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वित्तीय समावेशन की बहुआयामी प्रकृति, इसकी प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की दिशाओं को समझना नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और नागरिकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो गया है.

भारत में व्यापक वित्तीय समावेशन की यात्रा जारी है, जिसमें प्रगति के महत्वपूर्ण पड़ाव और नित-नई चुनौतियाँ शामिल हैं. सरकारी पहलों, तकनीकी नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों के अभिसरण ने अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मजबूत नींव रखी है. तथापि, शेष अंतरालों को पाटने के लिए बुनियादी ढाँचे की सीमाओं को संबोधित करने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और वंचित वर्गों के लिए अनुरूप समाधान विकसित करने पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है. और इस बात पर ज़ोर दिया जाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन सभी नागरिकों के लिए सार्थक वित्तीय सशक्तिकरण और बेहतर आर्थिक परिणामों में परिवर्तित हो. इसमें न केवल पहुँच का विस्तार करना बल्कि उपयोग को बढ़ावा देना, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में विश्वास का निर्माण करना और उभरती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर नवाचार करना शामिल है. अंततः, वास्तविक वित्तीय समावेशन प्राप्त करना भारत की न्यायसंगत और सतत आर्थिक विकास की आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण होगा.

सुनील कुमार यादव
क्षे. का., अहमदनगर

आधार सेवा केंद्र

आधार
मेरा आधार, मेरी पहचान

आधार सेवा केंद्र

आज के डिजिटल युग में, भारत में आधार एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में उभरा है. आधार से संबंधित सेवाओं तक निर्बाध पहुँच के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पूरे देश में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए हैं. आधार सेवा केंद्र में यूआईडीएआई द्वारा स्थापित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जो आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करती हैं.

ये केंद्र आधार कार्ड के लिए नामांकन, अद्यतन करने और सुधार सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों के लिए वन-स्टॉप गंतव्य के रूप में कार्य करते हैं. आधार सेवा केंद्र अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और आवेदकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करते हैं. अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ, आधार सेवा केंद्र का उद्देश्य नागरिकों के लिए आधार सेवाओं को सुलभ बनाना है जिससे कई कार्यालयों में जाने या लंबी कतारों में खड़े होने की असुविधा दूर हुई है.

आधार सेवा केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाएं:-

आधार सेवा केंद्र आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

क. आधार पंजीकरण: जिन व्यक्तियों ने अब तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं. प्रशिक्षित कर्मचारी बायोमेट्रिक डेटा संग्रह और प्रलेखीकरण सहित आवश्यक चरणों के माध्यम से आवेदकों का मार्गदर्शन करते हैं.

ख. आधार अद्यतन और सुधार: आधार सेवा केंद्र व्यक्तियों को अपने मौजूदा आधार विवरण, जैसे पता, मोबाइल नंबर या नाम परिवर्तन को अपडेट करने में सक्षम बनाता है. ये सुविधाएँ सुनिश्चित करती हैं कि नागरिक अपनी आधार जानकारी को अद्यतित रख सकें.

ग. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: ये बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सेवाएँ भी प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं. यह सुविधा विशेष रूप से विभिन्न सरकारी और निजी सेवा अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है.

घ. अन्य सेवाएँ: आधार सेवा केंद्र आधार से जुड़े बैंक खाते को जोड़ने, जनसांख्यिकीय डेटा सत्यापन और अन्य आधार से संबंधित प्रश्न जैसी सेवाएँ भी प्रदान कर सकते हैं.

आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

आधार सेवा केंद्र परियोजना के साथ ही, यूआईडीएआई ने पंजीकरण कराने के इच्छुक व्यक्तियों और आधार संख्या धारकों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है. यूआईडीएआई द्वारा संचालित सभी आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पालन करते हैं, जहाँ पंजीकरण कराने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति या आधार संख्या धारक किसी भी सुविधाजनक आधार सेवा केंद्र पर आधार पंजीकरण या अपडेट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है.

आधार पंजीकरण के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति या आधार संख्या धारक अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए 1 से अधिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है. यह एक नि:शुल्क सेवा है, जहाँ आधार पंजीकरण के लिए इच्छुक व्यक्ति या आधार संख्या धारक को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है. हालाँकि, आधार पंजीकरण के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति या आधार संख्या धारक एक महीने में अधिकतम 4 अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है. बैंकों, डाकघरों, राज्य सरकार के कार्यालयों और बीएसएनएल केंद्रों में उपलब्ध अन्य पंजीकरण केंद्रों को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली से जोड़ा जा रहा है.

आधार पंजीकरण केंद्र पर आधार सेवाओं के लिए शुल्क

यूआईडीएआई ने आधार पंजीकरण के इच्छुक किसी भी व्यक्ति या आधार संख्या धारक द्वारा अपनी पसंद के किसी भी आधार पंजीकरण केंद्र पर आधार सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क निर्धारित किए हैं. जो कि आधार के वेबसाइट पर प्राप्त किए जा सकते हैं. इन शुल्कों में सभी लागू कर शामिल हैं. नामांकन कराने के इच्छुक व्यक्ति या आधार संख्या धारक आधार सेवा केंद्र पर उपलब्ध 'कैश काउंटर' पर भुगतान कर सकते हैं. यूआईडीएआई वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते समय ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा शीघ्र ही प्रारंभ होगी.

आधार सेवा केन्द्रों के लाभ:

आधार सेवा केन्द्रों की स्थापना से नागरिकों को कई लाभ होंगे, जिनमें शामिल हैं:

क. सुविधा: आधार सेवा केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्थित हैं,

जिससे यह बड़ी आबादी के लिए आसानी से उपलब्ध है. यह उपलब्धता आधार सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों के लिए समय और प्रयास बचाती है.

ख. दक्षता: ये आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारियों से लैस हैं, जो आधार से संबंधित सेवाओं की कुशल और सटीक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं. प्रौद्योगिकी के उपयोग से त्रुटियां कम होती हैं और समग्र प्रसंस्करण समय कम होता है.

ग. बेहतर डेटा सुरक्षा: आधार सेवा केंद्र डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हैं. मजबूत सिस्टम और प्रोटोकॉल पर नागरिक भरोसा कर सकते हैं कि पंजीकरण, अपडेशन या प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के दौरान उनकी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित तरीके से संभाला जाता है.

घ. मानकीकरण: आधार सेवा केंद्र आधार से संबंधित सेवाओं के लिए एक समान प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिससे विभिन्न स्थानों पर एकरूपता सुनिश्चित होती है. यह मानकीकरण विसंगतियों को दूर करता है और समग्र सेवा अनुभव को सुव्यवस्थित करता है.

आधार सेवा केंद्रों ने आधार से जुड़ी सेवाओं की पहुंच और दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव किया है. ये केंद्र नामांकन, अद्यतनीकरण और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित कई तरह की सेवाएँ प्रदान करते हैं. देश भर में आधार सेवा केंद्र का नेटवर्क स्थापित करके, यूआईडीएआई ने नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे कई बार चक्कर लगाने या लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की ज़रूरत कम हो गई है. आधार सेवा केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा, दक्षता, डेटा सुरक्षा और मानकीकरण उन्हें आधार सेवाएँ चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक अमूल्य संसाधन बनाते हैं. आधार सेवा केंद्रों के निरंतर विस्तार के साथ, डिजिटल रूप से सशक्त और समावेशी भारत की परिकल्पना वास्तविकता के करीब पहुँचाती है.

अलका रानी
एन.पी.सी. पटना

वित्तीय समावेशन

हर हाथ में हो ताकत, हर दिल में विश्वास,
वित्तीय समावेशन से बनेगा नया इतिहास.
जहां न हो भेदभाव, न गरीबी की दीवार,
हर व्यक्ति को मिले उसका अधिकार.

खाते हों सभी के, बैंक हों हर गांव में,
सपने सजें उजाले के हर एक धाम में.
रुपये की चाभी हो हर हाथ के पास,
सपने साकार हों, खत्म हो निराश.

न कर्ज में दबे कोई, न तरसें संसाधन,
वित्तीय आज़ादी से मिटे हर बाधा का कारण.
शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार का हो विस्तार,
हर कदम पर हो तरक्की का आकार.

डिजिटल दुनिया में हो सबका हिस्सा,
हर घर में पहुंचे विकास का किस्सा.
नगरी से लेकर गांव तक हो समानता,
वित्तीय समावेशन में है असली मानवता.

चलो मिलकर करें ये वादा,
हर इंसान को दें उसका फायदा.
वित्तीय समावेशन की ज्योत जलाएं,
सभी को आगे बढ़ने का हक दिलाएं.

साहिल कुमार
क्षे. का., गोवा

अटल पेंशन योजना:

असंगठित क्षेत्र के लिए आशा की किरण

"सबसे बड़ा धन थोड़े में संतोष से जीना है." - **प्लेटो**

यह उद्धरण वित्तीय विवेक के महत्व और एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति के मूल्य पर जोर देता है, जिसे एपीवाई प्रदान करता है.

1. कामकाजी गरीबों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिम को दूर करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जो 2011-12 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के 66 वें दौर के अनुसार 47.29 करोड़ की कुल श्रम शक्ति का 88% हिस्सा हैं, लेकिन उनके पास कोई औपचारिक पेंशन प्रावधान नहीं है, सरकार ने 2010-11 में स्वावलंबन योजना शुरू की थी. हालाँकि, स्वावलंबन योजना के तहत कवरेज मुख्य रूप से 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभों की स्पष्टता की कमी के कारण अपर्याप्त है.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), एक सरकारी प्रायोजित पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए तैयार की गई, एपीवाई का उद्देश्य लाखों भारतीयों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है जिनके पास औपचारिक पेंशन योजनाओं तक पहुंच नहीं है. यह लेख एपीवाई की पेचीदगियों में तल्लीन है, इसकी विशेषताओं, लाभों और अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर इसके प्रभाव की जांच करता है.

2. इसलिए माननीय वित्त मंत्री ने 2015-16 के अपने बजट भाषण में अटल पेंशन योजना की घोषणा की है. एपीवाई असंगठित क्षेत्र

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

के सभी नागरिकों पर केंद्रित है, जो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं. एपीवाई के तहत, ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु में 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह, 5000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी, जो स्वयं एपीवाई में शामिल होने की आयु पर निर्भर करेगी. एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है. इसलिए, एपीवाई के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी. निश्चित पेंशन का लाभ सरकार द्वारा गारंटीकृत होगा. केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 2015-16 से 2019-20 तक प्रत्येक पात्र ग्राहकों के खाते में ग्राहक के अंशदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, सह-योगदान किया है, और 31 दिसंबर, 2015 से पहले एनपीएस में शामिल हो गए हैं जो आयकर दाता नहीं हैं. एपीवाई 1 जून, 2015 से शुरू किया जाएगा. स्वावलंबन योजना के मौजूदा ग्राहक स्वचालित रूप से एपीवाई में अंतरित हो जाएंगे, जब तक कि वे इससे बाहर निकलने का विकल्प न चुनें.

एपीवाई की प्रमुख विशेषताएं

- **गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन:** एपीवाई का आधारभूत सिद्धांत न्यूनतम पेंशन की गारंटी है, जो बुढ़ापे में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है.
- **सरकारी सह-योगदान:** सरकार योग्य ग्राहकों के लिए पर्याप्त सह-योगदान प्रदान करती है, जिससे योजना अधिक किफायती और सुलभ हो जाती है.
- **लचीलापन:** ग्राहक अपनी वांछित पेंशन राशि और योगदान आवृत्ति (मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक) चुन सकते हैं.
- **स्थानांतरणीयता:** एपीवाई खाते पोर्टेबल होते हैं, जिससे ग्राहक नौकरी या बैंक बदलने पर भी अपना योगदान जारी रख सकते हैं.
- **कर लाभ:** एपीवाई में योगदान कुछ शर्तों के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं.

अटल पेंशन योजना की लोकप्रियता के कई कारण हैं:

- **सुरक्षित भविष्य:** यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.
- **सरकारी समर्थन:** सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इस योजना पर लोगों का भरोसा अधिक है.

- **लचीलापन:** इसमें न्यूनतम योगदान राशि कम है, जिससे विभिन्न आय वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं.

- **सरल प्रक्रिया:** इस योजना में शामिल होने की प्रक्रिया काफी सरल है.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का प्रभाव 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, एपीवाई ने लाखों ग्राहकों के साथ योजना में नामांकन कराते हुए उल्लेखनीय वृद्धि देखी है. इस योजना ने कई व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, उन्हें उनके सेवानिवृत्ति वर्षों में एक बहुत जरूरी वित्तीय सहारा प्रदान किया है.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) बैंकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है और उन पर निम्नलिखित प्रभाव डालती है:

- **नए ग्राहकों का आकर्षण:** एपीवाई के माध्यम से बैंक नए ग्राहकों को आकर्षित कर पाए हैं, विशेषकर उन लोगों को जो पहले बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं करते थे.

- **बचत जमा में वृद्धि:** एपीवाई के तहत किए जाने वाले नियमित योगदान से बैंकों में बचत जमा में वृद्धि हुई है.

- **ब्रांड इमेज में सुधार:** एपीवाई जैसी सामाजिक रूप से उत्तरदायी योजनाओं में भागीदारी से बैंकों की ब्रांड इमेज में सुधार हुआ है.

- **सरकारी योजनाओं में भागीदारी:** एपीवाई के माध्यम से बैंक सरकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं.

- **नए उत्पाद और सेवाएँ:** एपीवाई के साथ, बैंक अन्य पेंशन उत्पाद और सेवाएँ भी पेश कर पाते हैं.

- **ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करना:** एपीवाई के माध्यम से बैंक ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित कर पाते हैं.

- **डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना:** एपीवाई को डिजिटल माध्यम से लागू करके बैंक डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे पाते हैं.

चुनौतियाँ और अवसर : अपने कई लाभों के बावजूद, एपीवाई को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में कम जागरूकता का स्तर और संभावित ग्राहकों के बीच अधिक वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता. तथापि, ये चुनौतियां सुधार के अवसर भी प्रदान करती हैं. लक्षित अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर और नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरकार एपीवाई की पहुंच और प्रभाव को और बढ़ा सकती है.

निष्कर्ष

एपीवाई लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो उनके सुनहरे वर्षों में वित्तीय सुरक्षा का मार्ग प्रदान करता है. चुनौतियों का समाधान करके और अवसरों का लाभ उठाकर, सरकार एपीवाई को और मजबूत बना सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करना जारी रखे.

रतन लाल रजक
उखड़ा शाखा
क्षे.का. दुर्गापुर

मुस्कुराओ

आज कल की बात बताऊ
सुनो तुम गौर से
सब को लगी देवदास की व्याधि
मानो इस दौर में
चेहरे पे मंडरा रहे सबके
अवसाद की घनघोर घटाएँ
जिह्वा में लिप्त मानो सबके
खेद की तिक्त कलिकाएं
जीवन-पथ में विस्तृत
न जाने इनके कौन से शूल हैं
होठों से ओझल किस कारण
इनके तबस्सुम के फूल हैं
स्वर में अंतर्निहित मानो
सबके सौ पीढ़ियों की पीड़ाएं
पूछो तो एक ही बात दोहराए
"लाइफ में बहुत स्ट्रेस्स है रे!"
इनको कोई ये समझाए
तनाव ही सहस्र पीड़ाओं की जड़ है
इसी से घटती एक चौथाई
मनुष्य की उम्र है
इस विषाक्त नागिन को
काटे कौन वो शमशीर है
हसीं ही इस मारक विष की
उत्तम चीर है
तो सोच क्या रहे हो दोस्तो
मुस्कुराओ खुल के
दूर भगाओ समस्त रोग-व्याधि
जीवन से चुनके.

देबलिना मल्लिक
क्षे. का., धनबाद

केंद्रीय कार्यालय अनेक्स तथा अंचल कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

कें.का., अनेक्स, हैदराबाद

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पवई, मुंबई

कें.का., अनेक्स, दिल्ली

कें.का., अनेक्स तथा अं. का., मंगलूरु

यूनियन बैंक ज्ञान केंद्र, बेंगलूरु

अं. का. बेंगलूरु एवं क्षे. का., बेंगलूरु - उत्तर

अं. का., भोपाल

अं. का., भुवनेश्वर

अं. का., चंडीगढ़

अं. का., नई दिल्ली

अं. का., गांधीनगर

अंचल कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

अं. का., हैदराबाद

अं. का., जयपुर

अं. का., कोलकाता

अं. का., लखनऊ

अं. का., चेन्नै

अं. का., मुंबई

अं. का., विजयवाडा

अं. का., विशाखपट्टणम

अं. का. एवं स्थानीक क्षे. का., पुणे

अं. का. एवं क्षे. का., रांची

अं. का., वाराणसी

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

क्षे. का., अहमदनगर

क्षे. का., आणंद

क्षे. का., अंधेरी

क्षे. का., बरेली

क्षे. का., बड़ौदा

क्षे. का., बेलगावी

क्षे. का., भागलपुर

क्षे. का., भुवनेश्वर

क्षे. का., गुंटूर

क्षे. का., मैसूरु

क्षे. का., जालंधर

क्षे. का., कडपा

क्षे. का., खम्मम

क्षे. का., कोल्लम

क्षे. का., कोटी

क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस समारोह

क्षे. का., कोट्टायम

क्षे. का., मछलीपट्टनम

क्षे. का., मेहबूबनगर

क्षे. का., नेल्लूर

क्षे. का., ओंगोल

क्षे. का., पटना

क्षे. का., रायपुर

क्षे. का., राजमंड्री

क्षे. का., हल्द्वानी

क्षे. का., रीवा

क्षे. का. तृश्शूर

क्षे. का., उडुपि

क्षे. का., समस्तीपुर

क्षे. का., ठाणे

क्षे. का., तिरुवनंतपुरम

प्रधानमंत्री जन धन योजना

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्"।।

वैदिक काल से चली आ रही इस उपर्युक्त पंक्ति के द्वारा हमें 'सभी सुखी हो सभी निरोगी हो, सभी सुख के प्रत्यक्षदर्शी बनें और किसी को भी दुख न भोगना पड़े.

इस पंक्ति में छुपे भावो को मूर्त्त रूप प्रदान करने हेतु समाज चौतरफा विकास करना अति आवश्यक है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके. भारत गांवों में बसता है, यहाँ की 68.84% जनता गाँवों में निवास करती है. गरीबी सूचकांक 2021 के आँकडों के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक 66वीं थी. समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में जोड़कर ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की चुनौतियों को पार करके ही विकास को प्राप्त किया जा सकता है. समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रों ने अपने विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं. निर्धनता से बाहर लाने के लिए आर्थिक विकास ही एक बड़ा उपाय है. आर्थिक असमानता एक ऐसी चुनौती है जिसे पार करने के बाद ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. स्वतंत्रता प्राप्ति तथा विभाजन के बाद देश के विकास के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलायी. ये योजनाएं सफल हुई फलस्वरूप आज हम दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं.

इसके बावजूद आज भी हमारे देश के दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में विकास की लहर पूरी तरह से नहीं पहुँच पायी है. साथ ही आजादी के 7 दशक बाद भी देश के करोड़ों लोगों की पहुँच बैंक खातों तक नहीं है. इसका सीधा मतलब है कि वे देश की समृद्धि से न तो सीधे जुड़ पा रहे हैं और न ही उसका लाभ उठा पा रहे हैं. इसका मतलब यह भी है कि कहीं न कहीं परोक्ष रूप से ही सही देश की प्रगति में इस बड़े तबके का कोई योगदान न के बराबर है. इन परिस्थितियों को गहनतापूर्वक समझते हुए हमारी सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है - "प्रधानमंत्री जन धन योजना". दिनांक 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय के शब्दों में - "देश के आर्थिक संसाधन गरीब के काम आये, इसकी शुरुआत यहीं से होती है" के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की गई तथा दिनांक 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में लागू कर दी गई.

"प्रधानमंत्री जन धन योजना" एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है. वित्त मंत्रालय ने इस योजना के तहत खासकर महिलाओं, युवाओं, हाशिये के समुदायों एवं आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों को वित्तीय लेन - देन, सुरक्षित बैंक खाता तथा सरकारी लाभों के सीधे हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल की है. इस योजना का नारा "मेरा खाता, भाग्य विधाता" में इसकी प्रकृति निहित है. यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है.

"प्रधानमंत्री जन धन योजना" बैंकिंग सुविधा तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुँच सम्मिलित है. इस योजना के तहत सभी खाताधारकों को न सिर्फ डेबीट कार्ड प्रदान किया जाता है बल्कि सारी सुविधाएँ मोबाइल पर भी उपलब्ध होती हैं. ग्राहकों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर और कॉल सेंटर

भी पूरे देश में उपलब्ध हैं ताकि व्यक्ति को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सकें.

प्रत्येक बैंक खाता बैंकों के कोर बैंकिग सिस्टम पर आधारित है. इस योजना में डिजिटल लेन-देन पर जोर दिया गया है. सभी खाता धारकों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के समर्थन से समावेशी समाज की ओर बढ़ा रहे हैं.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्यः- इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. सर्वजन तक सुलभ बैंकिंग पहुँच- देश के प्रत्येक परिवार को विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग, महिलाओं को बैंकिंग बुनियादी सुविधाएँ जैसे- बचत और जमा खाते उपलब्ध कराना.

2. वित्तीय सशक्तिकरण- वित्तीय सेवाओं, ऋण, बीमा, पेशन योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाकर व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है.

3. असमानता को कम करना- इसके उद्देश्य में समाज के दोनों वर्गों -एक बैंकिंग सुविधा वाले और दूसरा जो इन सुविधाओं से वंचित हैं के बीच की खाई को कम करना शामिल है.

4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण- कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त कल्याणकारी लाभ और सरकारी सब्सिडी को कुशल और पारदर्शी तरीके से अंतरण करना भी इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है.

5. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना- नकदी निर्भरता को कम करना तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की विशेषताएँ

1. असुरक्षित को सुरक्षित करना- स्वदेशी डेबिट कार्ड द्वारा व्यापारिक स्थानों पर नकद निकासी और भुगतान के लिए रु. 2.00 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा.

2. ओवर ड्राफ्ट की सुविधा- बुनियादी बचत खातों में प्रत्येक परिवार के लिए रु.10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है.

3. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम- ग्रामीण स्तर पर लोगों में बुनियादी वित्तीय अवधारणा के बारे में शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन.

4. बीमा- 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के बीच जो खाते खोले गए उनमें रु.1.00 लाख का दुर्घटना कवर और रु.30,000 तक का जीवन बीमा कवर.

5. पेंशन योजना- असंगठित क्षेत्र के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से "स्वावलंबन" जैसी योजनाएं हैं.

"प्रधानमंत्री जन धन योजना" की पात्रता

- इस योजना के तहत पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए.
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के पास आधार कार्ड या उसके जैसे अन्य विशिष्ट पहचान दस्तावेज होने चाहिए.
- आवेदक के पास पूर्व में कोई बैंक खाता नहीं होने चाहिए.
- इन खातों में न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है.

"प्रधानमंत्री जन धन योजना" के प्रभाव

दिनांक 14 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने सफल 10 साल पूरे किए हैं. इस दशक में योजना ने पूरे देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है. इस योजना के तहत 53.13 लाख करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, फलस्वरूप बैंकिंग सेवाओं से वंचित लाखों लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आ गए हैं. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से खोले गए कुल खातों में महिला लाभार्थियों की संख्या 29.56 करोड़ है जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने तथा वित्तीय पहुँच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है. इस योजना के प्रभाव को हम यहाँ भी देखते हैं कि इसके तहत खोले गए खातों में कुल जमा राशि रु.2,31,236 करोड़ तक पहुँच गई है जो कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाभार्थियों के बढ़ते भरोसे और वित्तीय गतिविधियों में इसकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है. यह कार्यक्रम न सिर्फ लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुआ है बल्कि उस भरोसे पर पूरी तरह खरा भी उतरा है, फलस्वरूप 'प्रभाव लाभ अंतरण' के माध्यम से लगभग रु.38.49 लाख करोड़ लोगों को हस्तांतरित किए हैं. इस योजना के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चोरी की घटनाओं में भी कमी आयी है. प्रधानमंत्री जन-धन खाताधारकों को जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है जिससे व्यक्ति बचत पर अतिरिक्ति आय अर्जित कर सकता है.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के तहत उद्घाटन के दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए. इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्डस में दर्ज किया गया. इस वित्तीय समावेशन द्वारा आम लोगों को वित्तीय लेन-देन, सुरक्षित बैंक खाता तथा सरकारी लाभों के सीधे अंतरण की सुविधा मिलती है. भारत में जुलाई 2024 तक 55.7 बिलियन यूपीआई लेने-देने दर्ज किए गए हैं.

सुझाव

- "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के खाताधारकों के लिए वैसे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तो शुरू किया जा चुका है लेकिन इस पहल को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थानों गैर-सरकारी संगठनों और वित्तीय निकायों की साझेदारी बढायी जानी चाहिए.
- सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण की योजनाएं शुरू होनी चाहिए.
- सुलभ वित्तीय उत्पादों के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावना को तलाश सकते हैं.
- डिजिटल भुगतान पद्धति को अपनाने तथा मोबाइल बैंकिग के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं.
- दुर्गम क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना सही कदम रहेगा.
- इस योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र लागू करना चाहिए.
- सुधार हेतु क्षेत्रों की पहचान के लिए नियमित सर्वेक्षण कर सकते हैं.

"दुनिया को दे दो संदेश,
सबसे ऊपर अपना देश"

राजेश कुमार
क्षे. का., रायगड़ा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

समाज के गरीब, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सामाजिक सुरक्षा / सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई. तत्कालीन वित्तमंत्री ने बजट भाषण 2015 में इस योजना का जिक्र किया था. पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा रक्षा देने वाली एक बीमा योजना है. यह एक वर्ष का सुरक्षा कवर प्रदान करती है जो वर्षानुवर्ष नवीकरणीय है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा बैंकों / डाक घर के साथ आवश्यक अनुमोदनों और तालमेल (टाई-अप) सहित इसी प्रकार की शर्तों पर उक्त उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए इच्छुक अन्य जीवन बीमा कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित / नियंत्रित की जाएगी. सहभागी बैंक / डाक घर अपने अभिदाताओं के लिए इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु किसी भी जीवन बीमा कम्पनी को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं. योजना प्रारम्भ की तारिख 01 जून, 2015 एवं कवरेज अवधि प्रति वर्ष 01 जून से 31 मई (01 वर्ष) तक है. यह एक प्रकार की बचत खाते से लिंक समूह सावधि बीमा योजना है जिसमें बैंक खाते के लिए प्राथमिक के.वाई.सी. आधार होगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बीमा कम्पनी मैसर्स सुड लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी को शामिल किया है.

1. कवरेज का विस्तार - सहभागी बैंको / डाक घर के 18 से 50 वर्ष तक के आयु समूह के सभी वैयक्तिक खाताधारक इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं. किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक / डाक घर में खाते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक ही बैंक / डाक घर खाते के माध्यम से उक्त योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं. बैंक / डाक घर खाते के लिए आधार प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज हैं. सहभागी बैंक ही मास्टर पॉलिसी धारक होगा. सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम / अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत निवेश को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी द्वारा कवर की गई है. किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमित राशि रु.2 लाख है. तथापि पंजीकरण की तिथि से पहले 30 दिन तक दुर्घटना से इतर कारण से मृत्यु के मामले में बीमा कवरेज उपलब्ध नहीं होगा. सावधि बीमा योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष है जो 55 वर्ष की आयु तक नवीकरणीय है.

2. प्रीमियम / भर्ती की पद्धतिः उक्त कवरेज़ 1 जून से 31 मई तक व्याप्त एक वर्ष की अवधि के लिए है, योजना के लिए शुरुआत में प्रीमियम राशि रु.330 थी. अब 1 जून 2022 से नई दरें लागू करने के कारण राशि बढ़कर रु.436 हो गई है. शुरुआत में प्रीमियम का विनियोग एलआईसी / बीमा कम्पनी को राशि रु.289/- प्रतिवर्ष प्रति सदस्य, बीसी/माइक्रो / निगमित/

अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्ति राशि रु.30/-प्रतिवर्ष प्रति सदस्य एवं सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति राशि रु.11/- प्रतिवर्ष प्रति सदस्य था. वर्तमान में प्रीमियम का विनियोजन निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	बीमा के लिए माहवार विवरण	राशि रु. में	एलआईसी बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम राशि रु. में	व्यवसाय प्रतिनिधियों, अभिकर्ताओं आदि को देय कमीशन (केवल नई भर्तियों के लिए राशि रु. में)	सहभागी बैंको को देय प्रबंधकीय व्यय राशि रु. में
1.	जून, जुलाई और अगस्त पूर्ण वार्षिक देय प्रीमियम	रु.436/-	रु.395/-	रु.30/-	रु.11/-
2.	सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर आनुपातिक प्रीमियम देय है) जोखिम अवधि दूसरी तिमाही	रु.342/-	रु.309/-	रु.22.50/-	रु.10.50/-
3.	दिसंबर, जनवरी और फरवरी (आनुपातिक प्रीमियम देय है) जोखिम अवधि तीसरी तिमाही	रु.228/-	रु.206/-	रु.15/-	रु.7/-
4.	मार्च, अप्रैल और मई (आनुपातिक प्रीमियम देय है) जोखिम अवधि चौथी तिमाही	रु.114/-	रु.103/-	रु.7.50/-	रु.3.50/-

सहभागी बैंक / डाक घर दायित्व अनुसार 'स्वत: नामे प्रक्रिया के द्वारा पहले खाताधारकों से विकल्प के अनुसार एक किस्त उपयुक्त प्रीमियम की वसूली करती है. सहभागी बैंक / डाक घर द्वारा भर्ती फार्म / स्वत: नामे प्राधिकार / निर्धारित प्रोफार्मा में सहमति व घोषणा फार्म प्राप्त किया जाएगा. दावा किए जाने की स्थिति में एलआईसी / बीमा कम्पनी इन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है. एलआईसी / बीमा कम्पनी के पास किसी भी समय इन दस्तावेजों की अपेक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है.

3. पात्रता की शर्तें :- योजना के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु) के बीच है तथा जो योजना में शामिल होना चाहते हैं स्वत: नामे हेतु सहमति देनी होगी साथ ही स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य का एक स्व-प्रमाणीकरण देना अनिवार्य है कि वह किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है. खाते में बीमा कवर चालू रखने के लिए पर्याप्त राशि का होना भी जरूरी है.

4. निष्कर्ष - पीएमजेजेबीवाई समाज के गरीब, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है. यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने वाले बीमा धारक को राशि रु.2 लाख का सबल उसके परिवार को प्रदान कर रही. सरकार के आंकड़ों के अनुसार 27 अप्रैल 2022 तक कुल मिलाकर 12.76 मिलियन से अधिक लोगों ने इस योजना हेतु नामांकन किया और 5,76,121 दावों के लिए रु.11,52 करोड़ का भुगतान किया गया है. वर्ष 2022 के पश्चात इस योजना का वर्तमान में दायरा बढ़ा ही है. कहते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है जिसका कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता. तथापि जियो और जीने दो के सिद्धान्त के साथ ही अपने परिवार के संबल के लिए हर व्यक्ति को इस योजना से जुड़ना चाहिए.

सरोज कुमारी
क्षे. का., उदयपुर

प्रधानमंत्री जन धन योजना

गरीबों का सपना साकार हुआ,
जन धन योजना उपहार हुआ.
खुल गए खाते, बढ़ी है आस,
अब हर गरीब को मिला विश्वास.

बैंक को पहुंचाना था हर द्वार,
सपनों को मिला सरकार का प्यार.
जीरो बैलेंस पर खाता खुला,
नई रोशनी से जीवन जुड़ा.

रुपे कार्ड से बढ़ी पहचान,
हर हाथ में अब धन का सम्मान.
बीमा कवर का मिला सहारा,
भविष्य सुरक्षित, न कोई डर दोबारा.

गरीबों के जीवन में लाई रोशनी,
घटी असमानता, बढ़ी है खुशी.
आओ मिलकर सब प्रयास करें,
सपनों को साकार जन धन करें.

प्रधानमंत्री का यह अभिनव प्रयास,
बनाएगा भारत को और खास.
हर घर में समृद्धि की हो पहचान,
जन धन से चमके हिंदुस्तान.

पलक सोनी
विजय नगर शाखा,
क्षे.का., इंदौर

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.)

वित्तीय साक्षरता केंद्र जमा, ऋण, बीमा और डिजिटल उत्पादों सहित विभिन्न वित्तीय उत्पादों के संबंध में वित्तीय जागरूकता लाते हैं. इससे आम जनमानस को बेहतर वित्तीय योजना बनाने और वित्तीय समझदारी बढ़ाने में मदद मिलती है. समाज के सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है. यह देखते हुए कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय लेन-देन से अब भी दूर है, ऐसे में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को वर्तमान में मुख्य रूप से उन व्यक्तियों/व्यक्ति समूहों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो व्यक्तिगत वित्त से संबंधित मामलों में समझ की कमी के कारण लगातार वित्तीय लेन-देन/वित्तीय जागरूकता से दूर हैं और वित्तीय लेन-देन के प्रति संवेदनशील हैं. वित्तीय समावेशन सरकार का एक प्रमुख एजेंडा है. यदि वित्तीय समावेशन को शत्-प्रतिशत हासिल करना है तो सबसे पहले वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देना होगा. यह वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा करता है. यह बैंकों को अप्रयुक्त व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 04 फरवरी, 2009 के परिपत्र के माध्यम से सभी बैंकों को अग्रणी जिलों में अपने वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी) स्थापित करने की सलाह दी थी. वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को नि:शुल्क वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श प्रदान करना है. वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य ऐसे नागरिकों को, जो अब भी वित्तीय सेवाओं से दूर हैं, जागरूक करते हुए विभिन्न वित्तीय एवं बैंकिंग उत्पादों को उन तक पहुंचाना है.

इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में, वित्तीय साक्षरता केंद्र परियोजना घरेलू बजट बनाने और वित्तीय लेन-देन रिकॉर्ड करने की आदत डालने, बचत बैंक खातों और अन्य जमा खातों में लेन-देन को प्रोत्साहित करने, आम आदमी को धोखा-धड़ी/पोंजी योजनाओं/उत्पादों की गलत बिक्री से बचाने, सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में जागरुकता लाने, आधिकारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने, शिकायत निवारण तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र प्रणालियों का उपयोग, जीवन बीमा उत्पाद और अन्य पेंशन उत्पाद क्रय करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरु की गई थी. वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचान किए गए गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण में किया जाता है. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न जिलों में प्रखंडवार वित्तीय साक्षरता केंद्र हेतु विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को चिह्नित कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है.

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और बैंकों की ग्रामीण शाखाएँ वित्तीय साक्षरता के मामले में सबसे आगे हैं. किसान, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, स्कूली बच्चे, एसएचजी, वरिष्ठ नागरिक आदि लक्षित समूह हैं. विभिन्न हितधारक जैसे एलडीएम, नाबार्ड के डीडीएम, आरबीआई के एलडीओ, जिला और स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, एनजीओ, एसएचजी, बीसी, किसान क्लब, पंचायत, पीएसीएस, गांव स्तर के कार्यकर्ता आदि इसके अनुयायी हैं. वित्तीय साक्षरता केंद्र का नेतृत्व करने वाला वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता/निदेशक जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता पहल को आगे बढ़ाने में प्रमुख हितधारक है.

वित्तीय साक्षरता वह ज्ञान और कौशल है जो सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक है. उपभोग, बजट, बचत, निवेश और जोखिम के बारे में बुनियादी बातें सीखने से व्यक्तियों की वित्तीय जानकारी बढ़ती है. तेजी से जटिल होती दुनिया में, वित्तीय रूप से फिट होने का मतलब धन संचय करना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम करना और खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे सुविधाजनक वित्तीय विकल्प चुनना है. वित्तीय रूप से साक्षर होना हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है.

वित्तीय शिक्षा शुरू करना बचपन से वयस्कता तक एक सतत प्रक्रिया है. युवा पीढ़ी को वित्तीय साक्षरता टूलबॉक्स प्रदान करने से उन्हें अपने वित्त का प्रबंधन करने में सहायता मिलती है और गलत निर्णयों में पड़े बिना सूचित विकल्प बनाने में मदद मिलती है.

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता केंद्र के माध्यम से समाज के उन वंचित नागरिकों को, जो बैंकिंग सेवाओं तथा वित्तीय जानकारियों से दूर रहे हैं, जागरूक कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है. वित्तीय साक्षरता केंद्र इस क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जब से वित्तीय साक्षरता केंद्र का शुभारंभ हुआ है तब से निरंतर वित्तीय जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाकर आम नागरिकों को वित्तीय जागरूकता प्रदान की जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व में समस्त बैंकिंग क्षेत्र इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान दशक में नगर से लेकर ग्रामीण स्तर तक वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय जागरूकता के माध्यम से जन-जन को वित्तीय साक्षरता प्रदान किया जा सकेगा तथा उन्हें वित्तीय लेन-देन हेतु जागरूक किया जा सकेगा.

अभिनय कुमार
एन.पी.सी., पटना

न मैं बादल हूँ, न पुरवाई हूँ. एक लघु बूंद हूँ, धरती पर उतर आई हूँ...

– डॉ. शैलेश श्रीवास्तव

'नॉस्टाल्जिया' अर्थात बीते वक्त को याद करके खुश होना या दु:खी होना, यह एक बेहद संवेदनशील भाव है. यह भाव अक्सर आपके बचपन, गाँव की मिट्टी, परंपरा और त्यौहारों, उत्सव या संस्कार से जुड़ा होता है. इस बार हमारे 'यूनियन सृजन' के साक्षात्कार कॉलम में एक ऐसी ही शख्सियत से की गयी मुलाक़ात को प्रस्तुत किया जा रहा है जो बरबस ही आपको आपके बचपन की यादों और गाँव की मिट्टी की खुशबू से रू-ब-रू करवाती है.

डॉ. शैलेश श्रीवास्तव एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व की मालकिन हैं - आप एक विचारक, लेखिका और गायिका हैं. आपको लोग दूरदर्शन के आइकोनिक कार्यक्रम 'रंगोली' के लिए जानते हैं. आप एक लोकगीत गायिका होने के साथ-साथ पार्श्वगीत गायिका भी हैं. आपने ख़ैय्याम साहब, हिमेश रेशमिया और पलाश मुच्छाल के साथ कई फिल्मों में गायिका के रूप में अपनी आवाज़ दी है. आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के "टॉप ग्रेड रैंक" के कलाकार के रूप शामिल रही हैं. लोकगीत आपकी शक्ति है और विशिष्टता भी. आप विभिन्न भाषाओं विशेषकर भोजपुरी लोकगीतों के संरक्षण और विस्तार में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं.

डॉ. शैलेश के लिए संगीत जीवन जीने का एक तरीका है, एक यात्रा है, एक मिशन है जिसमें वे अपने भीतर और अपने आस-पास की सुंदरता की खोज कर रही हैं. डॉ. शैलेश के अनुसार, जीवन एक निरंतर उत्सव है और संगीत अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा तरीका है. आपका जन्म 6 अप्रैल, 1959 को उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था. आपने गुरु-शिष्य परंपरा में बनारस घराने के पद्म भूषण पंडित राजन और साजन मिश्रा से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है.

डॉ. शैलेश को संस्कृत, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, सिंधी, हरियाणवी, हिमाचली, डोगरी और मराठी जैसी कई भाषाओं में प्रस्तुति देने का अनुभव है. उन्होंने 1993 में मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन, 1996 में एशियाई संगीत समारोह, बाली, इंडोनेशिया, 1997 में शार्क तरानालोरी महोत्सव समरकंद (रूस), 2003 में अमेरिका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना और 2005 में न्यू एम्स्टर्डम में प्रस्तुति दी है. डॉ. शैलेश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की सूचीबद्ध कलाकार हैं. उन्होंने साहित्य कला परिषद, नई दिल्ली, पंजाबी अकादमी, नई दिल्ली, हिंदी अकादमी, नई दिल्ली, एनसीपीए, मुंबई, विश्व व्यापार मेला, नई दिल्ली और सितंबर 2007 में भारत भवन, भोपाल में बादल राग महोत्सव में प्रस्तुति दी है. डॉ. शैलेश ने 2000-2003 में वाराणसी में गंगा महोत्सव, 2002 में लखनऊ महोत्सव, 2000 में झांसी महोत्सव, 2003 में रतलाम महोत्सव, 2003 में फतेहपुर महोत्सव, 2004 में श्रुति महोत्सव (खंडवा), 2006 में छिंदवाड़ा में लोकोत्सव, 2006 में चंबा में मिंजोर महोत्सव जैसे प्रमुख संगीत समारोहों में भाग लिया है. उन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में प्रदर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है. उन्होंने मैला आंचल, हिमालय दर्शन, गायब आया (भारत का पहला एनिमेटेड सीरियल), लोक लोक की बात, ये हुई ना बात और विभिन्न विज्ञापनों, धारावाहिकों के लिए पार्श्व गायिका के रूप में गायन किया है. इसके साथ ही कई हिन्दी फिल्मों में पार्श्वगायिका के रूप में प्रस्तुति दी है. डॉ. शैलेश ने हिमेश रेशमिया के साथ 'बनारस', खय्याम साहब के साथ 'बाजार ए हुस्न' और पलाश मुच्छल के साथ 'मिस टनकपुर हाज़िर हो' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

प्रस्तुत है डॉ शैलेश श्रीवास्तव से की गयी बातचीत के कुछ अंश :

अपने बचपन और परिवार के बारे में कुछ बताएं ?

मेरा जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था. मेरे पिता वहाँ के पोस्ट ऑफिस में एक सरकारी अधिकारी के रूप में पदस्थ थे. मेरे पिता जी की दूरदर्शिता ही थी जिसने मुझे उच्च शिक्षा, करियर और गीत-संगीत से परिचित करवाया. पढ़ाई के साथ-साथ मुझे गायन में विशेष रुचि थी. स्कूल-कॉलेजों में भी शिक्षकों ने मेरी प्रतिभा को पूरा प्रोत्साहन दिया. वहाँ के हर कार्यक्रम में मुझे गाने का मौका दिया जाता था. मेरी कॉलेज शिक्षिका किरण ओझा ने मेरी आवाज की गुणवत्ता को पहचाना

और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. बाद में मेरे संगीत गुरु पंडित काशीनाथ मिश्रा और पंडित नरेंद्र शर्मा ने विधिवत संगीत शिक्षा घर पर देना प्रारम्भ किया. अपने इस पूरे जीवन काल में मुझे एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति का साथ मिला और सीखने का मौका मिला. इसके लिए मैं हमेशा ही ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ.

बलिया से मुंबई का सफर कैसे हुआ ?

बलिया से मेरे पिता का स्थानांतरण दिल्ली हुआ. दिल्ली में पिता के परामर्श से मैंने रेलवे में सांस्कृतिक कोटा से नौकरी के लिए आवेदन किया और चयन के उपरांत मैंने बड़ौदा हाउस जॉइन किया. रेलवे में काम करते हुए मैंने कई पुरस्कार जीते. उसके बाद यूपीएससी भी अप्लाई किया और टॉप 10 में स्थान बनाया. दूरदर्शन के लिए मेरा प्लेसमेंट दिल्ली में हुआ मैं वहाँ 1991-2000 तक रही फिर वर्ष 2000 में दिल्ली से मुंबई मेरा स्थानांतरण हुआ.

मैं कार्यक्रम भी किया करती थी उस दौरान का आइकोनिक कार्यक्रम 'नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक एंड डांस टू सर्व आवर इंडियन रिच कल्चरल हेरिटेज द क्लासिकल म्यूजिक' काफी लोकप्रिय हुआ था. फिर दिल्ली में ही काम करते हुए नेशनल सॉन्ग्स फॉर इंटीग्रेशन पर 'हम भारत की बेटी हैं' गाना लिखा. इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ पर डॉक्यूमेंटरी में भी काम किया जो काफी लोकप्रिय हुई थी.

फिर जब मैं मुंबई आई तो मुकेश शर्मा ने रंगोली कार्यक्रम दिया जिसने मुझे राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी. उस दौरान रंगोली सभी चैनलों के बीच टॉप कार्यक्रम था. इसके बाद दूरदर्शन पर हमने क्लासिकल म्यूजिक पर पहला टैलंट हंट शो 'नादभेद' शुरू किया जिसकी एंकर शबाना आज़मी जी थी. इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी और कर्नाटक के सभी मौजूदा दिग्गजों को निर्णायक के रूप में शामिल किया गया था.

आपने एस.एन.डी.टी विश्वविद्यालय 'फोल्क एंड मीडिया' में पी.एच.डी किया है. इस 'विषय' के संबंध में कुछ बताएं.

लोक संगीत शुरू से ही मेरी प्रेरणा और आधार रहा है. मुझे अपना लोकगीत काफी प्रिय है. भारतीय लोकगीत की परंपरा और विस्तार को आगे बढ़ाया जा सके और लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी दी जा सके इसीलिए मैंने 'फोल्क एंड मीडिया' विषय पर ही एस.एन.डी.टी विश्वविद्यालय, मुंबई से पीएचडी का सोचा.

बदलती पीढ़ी के साथ क्या लोक गीत भी बदल रहा है ? संगीत जगत में आज इसकी क्या स्थिति है?

लोकगीत कभी नहीं बदलता और न ही कोई नया जन्म लेता है. उसकी प्रस्तुति या धुन बदल सकती है. विकास के क्रम में गांवों के दायरे सीमित हो रहे हैं हमारे रीति रिवाज बदलने लगे हैं. वे गतिविधियां /संस्कार नहीं रहे हैं तो गीत कैसे याद रहेंगे. लुप्त होती प्रथाओं के साथ-साथ लोकगीत की लोकप्रियता भी शायद लुप्त हो रही है. क्योंकि आज की पीढ़ी उस संस्कृति से अनजान हो रही है.

आज के युवा इसे काफी सराहते हैं यूं कहें काफी एंजॉय करते हैं. वे संस्कृति को खुले दिल से अपनाते हैं, समझना चाहते हैं. हालांकि उन्हें लोकगीतों में वर्णित परिस्थितियों को समझाना पड़ता है. संगीत की पृष्ठभूमि, उससे संबन्धित किंवदंतियाँ - कथाएँ और संस्कार आदि की जानकारी देनी पड़ती है. लोकगीतों को आधार बनाकर कुछ गाने भी बन रहे हैं जो काफी चल भी रहे हैं. कई बार ये विपरीत प्रभाव भी डालती हैं लोकगीतों पर.

आपने कई प्रस्तुतियाँ विदेशों में दी है... इन जगहों पर भारतीय लोकगीतों को लेकर कैसा माहौल है ?

वे बहुत सराहना करते हैं विदेशों में इसकी काफी इज्ज़त है. वहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें परदेश में कोई अपना मिल गया है जो भारत की मिट्टी की सौंधी सुगंध लेकर आया है. हमें भी इस पर बड़ा गुमान होता है कि हम उनके लिए भारत को लेकर आए हैं.

दूरदर्शन के आइकोनिक कार्यक्रम रंगोली से आपके जुड़ाव और डीडी अवार्ड, 2019 के बारे में बताएं.

वर्ष 2019 में रंगोली कार्यक्रम के लिए ही मुझे डीडी अवार्ड मिला था. यह कार्यक्रम सारे जी.ई.सी चैनलों के बीच में रंगोली शीर्ष पर थी और हाईली कमर्शियल कार्यक्रम साबित हुई. इस कार्यक्रम को भारत ही नहीं विदेशों में भी सराहा गया. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके सभी देशों से हमें ईमेल, ट्विटर आदि पर प्रतिसाद मिलते थे. इसलिए यह कार्यक्रम मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया. लोग मुझे रंगोली का पर्याय समझने लगे थे.

केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2022 के अनुभव के बारे में बताएं.

लोक संगीत के क्षेत्र में मेरे योगदान को सराहते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया और उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है. मैं भोजपुरी भाषा के संरक्षण के लिए गाती-लिखती हूँ और उसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हूँ. भाषा की शुद्धता, प्रामाणिकता और लालित्य को बरकरार रखने में योगदान दे रही हूँ. इसलिए मुझे यह सम्मान

दिया गया है. अभी यूनेस्को के लिए भी मैंने एक गाना गया है जो दिवाली पर आधारित है. दिवाली के दौरान हमारे गाँव के माहौल को वर्णित करते हुए यह गीत रची गयी है.

आपने मॉरिशस में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन 1993 में भी भाग लिया है. हमारे पाठकों को इस सम्मेलन और इसमें आपकी भूमिका के बारे में बताएं.

जब आई.सी.सी.आर से लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे कि आपको विश्व हिन्दी सम्मेलन में जाना है तो मैं सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं था कि उसमें मेरी क्या भूमिका होगी, मैं मॉरीशस कैसे जाऊँगी आदि. पर यह अनुभव काफी रोमांचक रहा. वहाँ के प्रधानमंत्री ने मुझे यह अवसर प्रदान किया था. जब मैं पहुंची तो मुझे उस कार्यक्रम के उद्घाटन गीत के लिए बुलाया गया. मैंने वहाँ सरस्वती वंदना गाया था और वह लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि पूरा विश्व मुझे लाइव सुन रहा है. यह कार्यक्रम एक सौगात थी, मेरे लिए एक नया आयाम खोलकर रख दिया था. इस कार्यक्रम से मुझे पता चला कि हमारी हिन्दी भाषा का स्तर कितना ऊंचा है, इतने सारे देशों से लोग भाषा के विभिन्न विषयों / विभिन्न आयामों पर चर्चा कर रहे थे.

अपनी पुस्तक 'भोजपुरी संस्कार गीत और प्रसार माध्यम' के बारे में बताएं? इसे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली ?

मैं दूरदर्शन में कार्यरत थी तो जब भी हमें कोई लाइव टेलिकास्ट करने से पहले कार्यक्रम का एक कैप्सूल बनाना होता था तो धीरे-धीरे लिखने की आदत पड़ गयी. फिर साहित्य की पत्रिकाओं में लिखने लगी. मैं कविताएं और गीत भी लिखती थी जिसका काफी बढ़िया प्रतिसाद मुझे मिला. साथ ही मेरे पिता भी एक अच्छे लेखक थे.

इस पुस्तक की प्रेरणा यूं मिली कि आजकल हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं. आज आप लोगों से पूछकर देखिए क्या उन्हें शोहर आता है या लोरी आती है या झूमर आता है तो अधिकांशत: लोंगों का जवाब न ही होगा. ये सभी संस्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं तो उन्हें भी जानना जरूरी है. आज इसे बचाना भी आवश्यक हो गया है. लोक संगीत का हमारा लालित्य है जो मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं गुम होता जा रहा है. इसीलिए इन्हें संजोने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है. प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्गल ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है. और अंजान जी के पुत्र समीर जी ने भी इसपर अपनी टिप्पणी लिखी है. इस पुस्तक का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. प्रतिभा पाटील के करकमलों से किया गया है.

भोजपुरी भाषा के वर्तमान और भविष्य को आप किस प्रकार से देखती हैं? इसमें सृजन या भाषा उत्थान के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं?

हर भाषा के दो पक्ष होते हैं - श्याम पक्ष और श्वेत पक्ष. ये चीजें आपको सभी भाषाओं में मिलेंगी. किन्तु ख्याति किसे मिलती है जिसमें उद्दात्त साहित्य हो या संगीत हो... भोजपुरी में साहित्य तो है लेकिन बहुत कम है. संगीत के क्षेत्र में या समाज में भी भोजपुरी को आजकल हम डिग्रेड कर रहे हैं. आप देखिए यदि दो भोजपुरी भाषी आपस में मिलते हैं तो वे भोजपुरी में बातें नहीं करते.

भोजपुरी गानों का एक स्वर्णकाल रहा है, एक समय था जब भोजपुरी काफी लोकप्रिय रही है बड़े-बड़े स्टार भोजपुरी से जुडते थे. चित्रगुप्त जी एसएच बिहारी जी के योगदान को ही देख लीजिए. आज भी कई भोजपुरी साहित्य-संगीत अच्छी गुणवत्ता वाले लिखे जाते हैं. किन्तु वही बात हैं न... जो टिकता है वही बिकता है. ज्यादा प्रसिद्धी उन गानों या संगीत को मिल रही है जो बेकार के विषयों पर तेज धुनों पर आधारित हैं. और मीडिया की भी असफलता ही है कि वे उन्हें ही मंच दे रहे हैं जो इस प्रकार से कुख्यात हैं न कि उन्हें ढूंढकर मंच पर ला रहे हैं जो वाकई में प्रतिभाशील हैं और भारत की संस्कृति से जुड़े कार्य कर रहे हैं. जार्ज ग्रियर्सन, कृष्ण बिहारी मिश्र और बलदेव मिश्र जी जैसे विद्वानों ने भी इसके साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है. अभी भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में भी थोड़े-बहुत कार्य हो रहे हैं.

साहित्यकार डॉ. शैलेश की भविष्य की क्या योजनाएँ हैं ?

वैसे तो भविष्य का कोई भरोसा नहीं है लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि रोने पर कुछ लिखूँ. इसका कारण यह है कि आज के युग में लोग लिखते और पढ़ते नहीं हैं अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं. सभी जिंदगी बहुत शॉर्टकट में जीना चाहते हैं, रोने के भी बहुत से भाव और शैलियाँ हैं. पहले के जीवन में भोलापन या मासूमियत काफी ज्यादा थी अब हम जितना एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और जितना एक्स्पोस्ड होते जा रहे हैं भावनाएँ खत्म होती जा रही है. तो इस विषय पर लिखना है कि रोना क्यों जरूरी है और हम क्यों नहीं रो पा रहे हैं.

वैसे मेरी एक और पुस्तक अंजुरी में बचपन (Songs of innocence) पूर्ण हो चुकी है और जल्दी ही प्रकाशित हो रही है.

आपने कई क्षेत्रों में कार्य किया है, आपके विस्तृत अनुभव में "हिन्दी की स्थिति" को आप कैसे देखती हैं?

हिन्दी अच्छी स्थिति में है विदेशों में भी इसका काफी सम्मान है वहाँ लोग हिन्दी पढ़ना और सीखना चाहते हैं केवल हिन्दी ही नहीं संस्कृत भाषा के प्रति भी लोगों में काफी रुचि है. हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर जगह हिन्दी में ही बोलते हैं और अपनी भाषा पर अपना अभिमान रखते हैं. हमें भी उनसे यह सीखना चाहिए. पूर्व प्रधानमंत्री बाजपेयी साहब ने भी काफी योगदान दिया है. यह बड़ी ही समृद्ध भाषा है बड़ा ही लालित्य है इसमें. हमें अपनी हिन्दी भाषा पर गर्व करना चाहिए.

आप 'यूनियन सृजन' के पाठकों को कोई संदेश देना चाहेंगी?

मैं आपको और यूनियन सृजन की टीम को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूँगी. आपकी टीम भाषा और साहित्य के लिए प्रयास कर रही है. यूनियन बैंक के कर्मचारियों को यह कहना चाहूँगी कि अपने भावों को मुक्त करने के लिए लिखें. यह एक बहुत अच्छा मंच है आप इसे आगे बढ़ाइए. नौकरी के साथ-साथ अपने पैशन को भी निखारें, चाहे वह संगीत के माध्यम से हो, कला या लेखन के माध्यम से... स्वयं को निखारें अपने को अभिव्यक्त करें.

राधा मिश्र
खुदरा आस्ति वर्टिकल,
कें. का., मुंबई

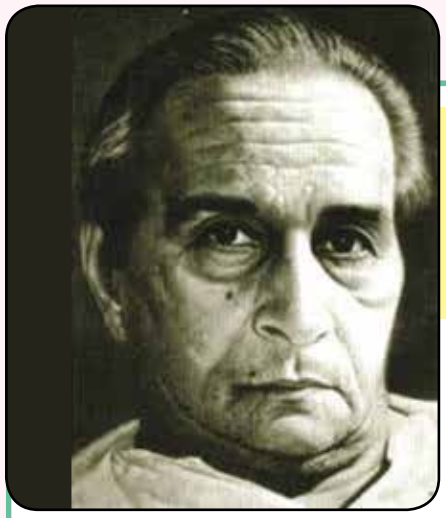

व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाने वाले कवि

हरिशंकर परसाई

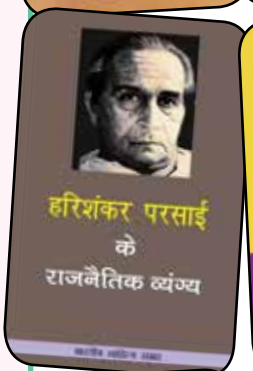

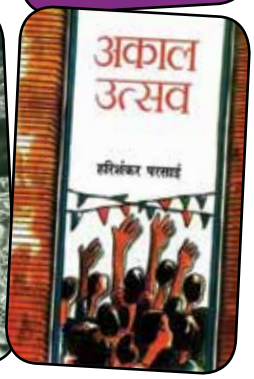

हरिशंकर परसाई जी एक संवेदनशील साहित्यकार रहे हैं. अत्यंत भावुक, विनम्र, संवेदनशील, सहनशील, हाजिरजवाब व्यक्तित्व के धनी हरिशंकर परसाई अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर अपनी दृढ़ता का भी परिचय देते हैं. बाहर से शांत लगने वाले व्यक्तित्व के अंदर जो उथल-पुथल होती है वही साहित्य के माध्यम से प्रकट होता है और इनमें से एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हरिशंकर परसाई जी हैं. वे एक प्रगतिशील और जनपक्षधर लेखक थे. हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनको सिर्फ कहानीकार या व्यंग्यकार के रूप में ही नहीं जाना जाता है बल्कि इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, लघु कथा तथा विभिन्न साहित्य के रूपों में भी व्यंग्य को दर्शाया है.

हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था. मात्र अठारह वर्ष की उम्र में परसाई जी ने अरण्य विभाग में नौकरी की. वे खण्डवा में छः माह तक बतौर अध्यापक भी रहे. उन्होंने दो वर्ष (1941-1943 में) जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य का अध्ययन किया. 1943 से परसाई जी ने वहीं मॉडल हाई स्कूल, जबलपुर में अध्यापक का कार्य किया. किंतु वर्ष 1952 में उन्होंने यह सरकारी नौकरी छोड़ दी. वर्ष 1953 से 1957 तक उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की. 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़ स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की.

उनकी कुछ श्रेष्ठ रचनाओं में 'विकलांग श्रद्धा का दौर' एक ऐसी प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए वर्ष 1982 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया. यह लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था जब इसे लिखा गया था. इसके माध्यम से परसाई जी ने हमें चेतावनी दी कि अगर हम तर्क और वैज्ञानिक सोच को नहीं अपनाएँगे, तो समाज में अंधभक्ति और पाखंड बढ़ते रहेंगे. इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा "शिक्षा सम्मान" एवं जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट्. की मानद उपाधि भी मिली.

व्यंग्य को सर्वश्रुत प्रसिद्धि देने वाले व्यंग्यकारों में सबसे प्रसिद्ध नाम हरिशंकर परसाई जी का है जिन्होंने व्यंग्य को हास्य से अधिक ऊपर उठाकर सामाजिक उत्तरदायित्व का जामा पहनाया. वैसे तो भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही व्यंग्य की परंपरा रही है लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य में इसे विकसित करने और मुख्यधारा में लाने का श्रेय हरिशंकर परसाई जी को जाता है. उन्होंने अपने व्यंग्य साहित्य में सामाजिक-राजनीतिक चित्रों का यथार्थ चित्रण किया है. उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर समाज को देखा और उसमें लगातार आए परिवर्तनों एवं मूल्यह्रास को भी लक्षित किया. इन परिवर्तनों को ही उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से प्रकट किया है.

हरिशंकर परसाई जी का अनुभव लेखन व्यंग्य को व्यापकता एवं गहराई प्रदान करता है. उपन्यास, कहानी, निबंध, लघु कथा तथा विभिन्न साहित्यों में व्यंग्य दर्शाने के साथ ही उन्होंने अखबारों के लिए कॉलम लेखन की भी शुरुआत की. उनका मानना था कि कॉलम लेखन बिजली की चमक की तरह होता है जो क्षणिक व्यंग्य की धारा को दिखाता है और बाद में मिट जाता है. परसाई जी की कई रचनाएं ऐसी हैं जो आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी वे कल थीं. परसाई जी की दृष्टि में व्यंग्य विधा नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता है. सच्चे व्यंग्य में जीवन की समीक्षा होती है. वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करता है. स्वयं से साक्षात्कार कराता है, चेतना में हलचल पैदा करता है और जीवन में व्याप्त मिथ्याचार, पाखंड,

असामंजस्य और अन्याय से लड़ने के लिए तैयार करता है.

वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के-फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा. उनकी व्यंग्य रचनाएँ हमारे मन में केवल गुदगुदी पैदा नहीं करती बल्कि हमें उन सभी सामाजिक वास्तविकताओं के आमने-सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में मध्यमवर्गीय मन की सच्चाई पिसते रहती है. उन्होंने इसे भी निकटता से पकड़ा और अपने व्यंग्य में शामिल किया.

परसाई जी की रचनाओं में विविधता है जिनमें राजनीति, समाज, अर्थ, धर्म, शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति, परिवार एवं जीवन की हर तरह की अव्यवस्थाओं पर व्यंग्य कसा गया है. उनकी ज्यादातर रचनाएं राजनीति पर आधारित हैं. विविध विधाओं में व्यंग्य को उभारा गया है. परसाई जी द्वारा रचित 'माजरा क्या है?', 'नया खून और पुराना खून', "ठिठुरता हुआ गणतंत्र" राजनीतिक व्यंग्य है. 'शिक्षकों का कल्याण' शिक्षक दिन निधि एकत्रित करने वाले सरकारी उपक्रम पर लिखा गया व्यंग्य है. 'भ्रष्टाचार नियोजन आंदोलन' भ्रष्टाचार की सर्वव्यापकता पर व्यंग्य कसता हुआ मालूम पड़ता है.

उनके द्वारा लिखित 'इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर' पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य करता है. साथ ही उन्होंने अपनी रचना 'एक गौ भक्त से भेंट' द्वारा व्यंग्य के माध्यम से धार्मिक आडंबर को अपने पाठकों के सामने लाया. "सदाचार का ताबीज" उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी जिसमें रिश्वत लेने-देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा.

उनकी भाषा-शैली में ख़ास किस्म का अपनापन है, जिसमें ठेठ हिंदी और बोलचाल के मुहावरे शामिल होते हैं जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है. इनके व्यंग्य सरल, स्वाभाविक और चुभन वाले होते हैं. शब्द चयन को व्यंग्य भाषा का प्राण माना जाता है. परसाई जी की शैली में उपमा महत्वपूर्ण है जिससे उनके व्यंग्य साहित्य में चमत्कार उत्पन्न होता है.

परसाई जी की प्रमुख व्यंग्य रचनाओं में दो नाक वाले लोग, विकलांग श्रद्धा का दौर, आध्यात्मिक पागलों का मिशन, क्रांतिकारी की कथा, पवित्रता का दौरा, पुलिस-मंत्री का पुतला, वह जो आदमी है न, नया साल, घायल बसंत, संस्कृति, बारात की वापसी, ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड, उखड़े खम्बे, शर्म की बात पर ताली पीटना, पिटने-पिटने में फर्क, बदचलन, एक अशुद्ध बेवकूफ, भारत को चाहिए जादूगर और साधु, भगत की गत, मुंडन, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, खेती, एक मध्यमवर्गीय कुत्ता, सुदामा का चावल, अकाल उत्सव, खतरे ऐसे भी, कंधे श्रवणकुमार के, दस दिन का अनशन, अपील का जादू, भेड़ें और भेड़िये, बस की यात्रा, टॉर्च बेचनेवाला. इसके अतिरिक्त उनकी कुछ निबंध रचनाएँ भी हैं जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, शिकायते मुझे भी है, अपनी-अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, हँसते हैं रोते हैं, आवारा भीड़ के खतरे, पाखंड का अध्यात्म, क़हत कबीर, तुलसीदास चन्दन घिसें. कहानी संग्रह में भोलाराम का जीव, जैसे उनके दिन फिर. उनके द्वारा कुछ उपन्यासों की भी रचना की गई है जैसे ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी.

वास्तविकता में परसाई जी व्यंग्य के उद्गाता हैं, जिन्होंने व्यंग्य को केवल जन्म ही नहीं दिया बल्कि उसे निखारा और सँवारा भी है.

प्रीति साव
क्षे. का., भुवनेश्वर

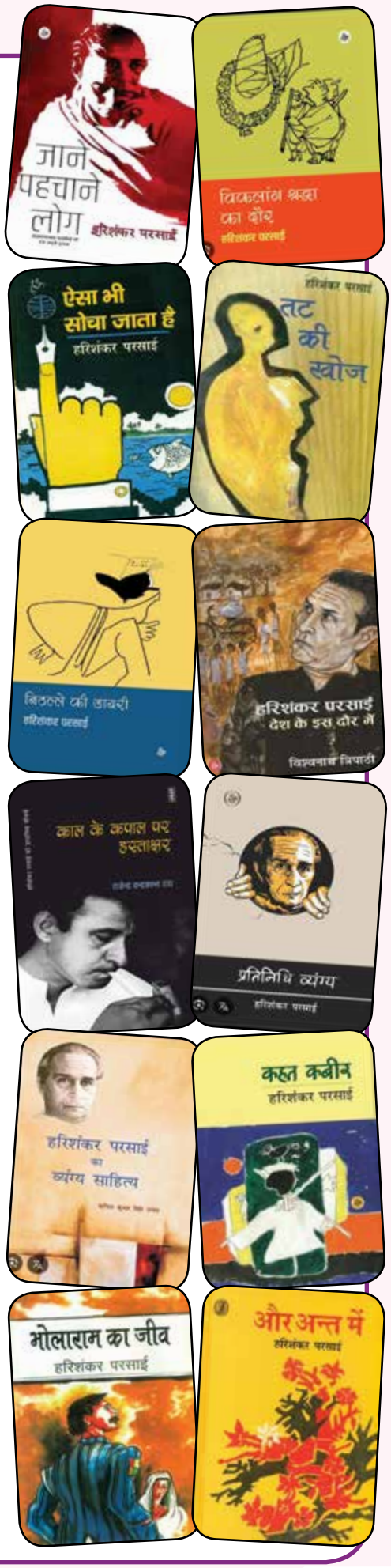

वह यादगार सफर

बैंक में पदार्पण से पहले हवाई यात्रा एक दिवा स्वप्न सा लगता था. हवाई सफर की तो बात ही क्या 2एसी के सफर के विषय में भी कभी सोचा नहीं था. हिंदी उर्दू का सफर तो अंग्रेजी का भी सफर ही लगता था, इसमें क्या पहला दर्जा और क्या दूसरा दर्जा, यहाँ तो तीसरे दर्जे को भी हम सहजता से ले लिया करते थे. फिर भी हवाई यात्राओं के अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया अवश्य है. जैसे मुझे पहली बार पता चला कि हवा में जाते ही 20 रूपये की कॉफी सीधे 200 रूपये की हो जाती है. हवा में जाने से उनमें पंख लग जाते हैं और वे हमारी जेब में रखे रूपये को बहुत आसानी से उड़ाने की क्षमता रखती है. 400 रूपये में मिलने वाले इन्दौरी पोहे (हालाँकि उन्हें इन्दौरी कहना किसी भी दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होता) को आकाश में मैगी नुडल्स की भाँति तुरंत बनाकर केवल 6 मिनट की प्रतीक्षा करके खाया जा सकता है. हालाँकि 6 मिनट की यह प्रतीक्षा अपने जमीनी इन्दौर की याद दिला देती है, जहाँ पर पोहे वाले भईया को बस आर्डर देने की देर होती है और गरमागरम पोहा आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है. इतना ही नहीं धरती से उड़ान इंसानों की भाषा में भी आमूलचूल परिवर्तन कर देती है और कोई व्यक्ति जो धरती पर फर्राटे की हिंदी बोल रहा होता है, आकाश का यात्री बन ऐसी गजब की अंग्रेजी बोलने लगता है कि अंग्रेज भी उनसे ट्यूशन लेने आ सकते हैं. हवा में उड़ने पर अपने पास बैठे सहयात्रियों से बोलने का चलन नहीं है और ऐसा लगता है मानो अपने पड़ोसी से बोलने पर किसी प्रकार का जुर्माना लग जाएगा. हाँ, जरूरत के समय विमान परिचारिकाओं से खूब बातें की जाती हैं. विमान परिचारिकाएं हमारा स्वागत इस गर्मजोशी से करती हैं मानो हमारे उस विमान पर चढ़ने से उन्हें असीम आनंद प्राप्त हुआ हो, पर यह क्या! जैसे ही हमारे पीछे कोई अन्य व्यक्ति चढ़ता है कि उनकी प्रसन्नता उतनी की उतनी ही दिखाई देती है, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे चढ़ने वाले उस यात्री के आगमन से मैडम अधिक प्रसन्न हुई हों. हमारे विमान से उतरने पर भी मैडम खुश ही दृष्टिगोचर होती हैं, यदि किसी के आने पर खुश हुआ जाता है, तो उसके वापस जाने पर भी बहुत प्रसन्नता दिखाना कहाँ का शिष्टाचार है? हमारे यहाँ तो जिसके आने पर हम प्रफुल्लित होते हैं, उसके जाने पर दिखावे के लिए ही सही, दुखी होते हैं. कई बार दो झूठ-मूट में ही सही आँसू भी बहा दिये जाते हैं. अबतक की मेरी विमान यात्रा में ऐसा देखने को नहीं मिला.

खैर, जाने देते हैं, अब असल मुद्दे पर आते हैं. बात कुछ दिनों पहले की है. हैदराबाद में यूनियन धारा का संवाददाता सम्मेलन था और साथ ही हम राजभाषा प्रभारियों की समीक्षा भी हुई थी. वापसी में मुझे भोपाल तक आने के लिए सीधी हवाई उड़ान नहीं मिली, अत: उदयपुर के रास्ते वायुयान बदलकर आने का विकल्प मिला जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि समय कुछ अधिक लगने पर भी कनैक्टिंग फ्लाइट्स सस्ती होती हैं. इसके साथ ही इन फ्लाइट्स में हम अधिक अनुभव भी बटोर सकते हैं. जितनी लंबी यात्रा, उतने अधिक अनुभव मिलते हैं. बचपन में मुझे अपने कस्बे से लंबा रास्ता लेकर जिला मुख्यालय तक जाने वाली बस की याद आई जिसका कंडक्टर कहा करता था कि भाई साहब कम पैसे लेकर दो गाँव ज्यादा दिखाता हूँ, तो चलते क्यों नहीं हो. मुझे अबतक यह समझ नहीं आया कि उन गाँवों के धूल भरे बस स्टैंडों के दर्शन करके कोई यात्री क्या पा लिया करता रहा होगा. फिर भी हवाई यात्रा में कनेक्टिंग फ्लाइट्स के माध्यम से मुझ जैसे लोगों के लिए सीखने के पता नहीं कितने अवसर खुल सकते हैं (हालाँकि यह मानने की बात ही है). साफ-सुथरे विमान पत्तन एवं वहाँ पर उड़ती मनमोहक कॉफी की खुशबू का हमारे कस्बे की दो गाँव अधिक दिखाने वाली बसों से क्या मुकाबला साहब!

हैदराबाद से जब हवाई जहाज की यात्रा शुरू हुई तो मेरे बगल में एक इंडो अमेरिकी जोड़ा आ बैठा जिसमें पति भारतीय व पत्नी अमरिकन थी. एयर होस्टेस ने उक्त दंपत्ति से कहा कि आपके पास बैठा सहयात्री दृष्टिबाधित व्यक्ति है और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें उक्त की सूचना दे देना. हालाँकि वे मोहतरमा पहले ही मुझे हाथ पकड़कर घंटी बजाने का बटन बता चुकी थी और बहुत से आवश्यक निर्देश भी दे दिये थे. फिर भी संभवत: मेरी अधिक चिंता या किसी और वजह से सहयात्री को मेरे विषय में ताकीद किया गया था. हालाँकि जब भी कोई ऐसी ताकीद करता है तो मैं कुछ असहज सा अनुभव करने लगता हूँ. मेरे पास अमरिकी महिला बैठी थी और उन्होंने स्वयं हाथ मिलाते हुए अपना परिचय भी दे डाला. अब मेरी बारी थी अपने विषय में कुछ कहने की, तो साहब जितने कम शब्दों में स्वयं को व्यक्त कर सकता था, मैंने किया. अपने कम बोलने के पीछे किसी अमेरिकी से उसकी ही भाषा में बोलने की झीझक थी. इससे पहले मैंने किसी विदेशी से अंग्रेजी में संवाद नहीं किया था. हालाँकि मैंने किसी स्वदेशी से भी अंग्रेजी में संवाद नहीं किया है. पहले उक्त जोड़े में से महिला ने मुझसे खूब बातें की तथा उसके पश्चात् पुरुष ने भी समान रूप से बहुत सारी बातें की. उनसे बात करके ज्ञात हुआ कि उनकी मुलाकात आज से छ: वर्ष पहले कैलीफोर्निया स्थित एक विश्वविद्यालय में हुई थी. जहाँ उक्त भारतीय युवक मेडिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कर रहा था. वहीं पर इस अमेरिकन महिला से उसकी मुलाकात हुई. चूँकि अमेरिका में संबंधों को पनपने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है, अत: छ: लंबे वर्षों के पश्चात् सितंबर, 2024 में दोनों ने विवाह करने

का फैसला कर लिया. बातों ही बातों में मुझे ज्ञात हुआ कि वे अपना हनीमून मनाने के लिए राजस्थान की यात्रा पर थे और दीपावली अपने परिवार के साथ आँध्र प्रदेश स्थित अपने गाँव में मनाने वाले थे. यह भी ज्ञात हुआ कि अमेरिकन युवती जिसका नाम जेज़ा था भारतीय व्यंजनों को बहुत पसंद करने लगी थी. वह मनोविज्ञान विषय पर अपना मास्टर्स कर चुकी थी तथा उक्त विषय में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने का लाइसेंस लेना चाहती थी.

बातों ही बातों में वे दोनों बताने लगे कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अच्छे निवेश अवसर उन्हें दिखाई देने लगे हैं. अत: वे भारत में निवेश करना चाहते हैं. अमेरिका में युवा लोगों की दिलचस्पी म्युचुअल फंड्स के स्थान पर सीधे स्टॉक्स में निवेश करने की अधिक रहती है. भारत में अचल संपत्ति के मूल्यों में हो रही वृद्धि उन्हें आकर्षित कर रही थी. जेज़ा ने मुझसे भारतीयों की मनोविज्ञान के विषय में उदासीनता तथा मनोरोगों के विषय में बात करने के प्रति अनिच्छा का कारण पूछा. मुझे कुछ खास कारण समझ नहीं आया तो जागरूकता का अभाव बता दिया. जिसे उसने गंभीरता से लिया. उक्त दंपत्ति का विचार था कि वे कुछ वर्ष अमेरिका में बिताकर भारत आ बसेंगे और यहाँ पर अपने-अपने कैरियर से जुड़ा हुआ काम करेंगे.

उन्होंने मुझ में रुचि दिखाते हुए मेरे काम के विषय में पूछा, फिर मेरे शहर भोपाल के विषय में पूछा और यहाँ पर स्थित दर्शनीय स्थलों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की. मुझे गहराई से जानने की ललक उनमें दिखाई दे रही थी, मसलन, वे मेरी रुचियों के विषय में भी जानना चाहते थे. संयुक्त राज्य अमेरिका में होने जा रहे चुनावों पर भी हमारी बातें हुईं. उन दोनों के विचार आगामी चुनावों को लेकर एकदम भिन्न थे. वे एक दूसरे के विचारों को न केवल काट रहे थे, बल्कि उन पर हँसी-मजाक भी करते जा रहे थे. ऐसा लगा मानो वे एक दूसरे से इतने अधिक संबंद्ध थे कि विचारों की भिन्नता कोई मायने नहीं रखती थी. क्या हम ऐसी खुली सोच को अपना पाए हैं? शायद अधिकांश मामलों में हम बहुत दकियानुसी हैं तथा किसी एक विचार को व्यक्ति का नहीं समुचे परिवार का विचार मानकर चलते हैं. जेज़ा अपनी डायरी में कुछ तो लिखे जा रही थी, जिसके विषय में उसके पति अन्वेश ने मुझे अवगत करवाया था. विदेशियों की यह आदत उनकी सजगता को प्रदर्शित करती है.

हमारे विमान क्रू ने उदयपुर में उतरने की घोषणा की और भारतीय-अमेरिकी दंपत्ति का मुझे बाय-बाय बोलने का समय आ गया. वे इतनी बार मुझसे बाय-बाय बोलकर गए जितनी बार संभवत: मेरे सारे मित्रों ने भी अबतक कुलमिलाकर न बोला होगा. हवाई यात्राओं में बोलने का चलन नहीं है, मेरी इस अवधारणा को छोटी सी इस कनेक्टिंग फ्लाइट ने तोड़ दिया था. मुझे मिले पड़ोसियों ने जिस सहृदयता एवं खुले मन से बातें कीं, उस व्यवहार ने मुझे वर्षों पुरानी लोकल बस यात्रा की याद दिला दी, जहाँ मुझे एक बहुत ही सज्जन एवं सहृदय व्यक्ति से परिचित होने का अवसर मिला था. वे आज भी मेरे मित्र हैं और मोबाइल फोन के माध्यम से उनसे समय-समय पर संपर्क होता रहता है. इस यात्रा ने अंग्रेजी भाषा के प्रति मेरी झिझक को भी बहुत हद तक दूर किया तथा अनजान लोगों से बात न करने की प्रचलित वर्जना के परे सोचने के लिए विवश किया.

अर्पित जैन
क्षे. का., भोपाल-सेंट्रल

मैं ही सत्य मैं ही अन्त

कभी शिव सा हूँ, कभी सत्य हूँ मैं,
कभी शव सा हूँ, कभी शून्य हूँ मैं !
कभी पुण्य करूं, कभी बनूं मैं पापी,
कभी महादेव सा मैं हूँ बैरागी!
कभी साधू सा मैं सीधा हूँ,
कभी दानव सा मैं हूँ शैतानी!
कभी नशे का मैं एक आदि हूँ,
कभी केशव सा मैं हूँ एक प्रेमी!

कभी भोग विलास लिए मैं मन में घूमूं,
कभी खुद से खुद का मैं हूँ बर्बादी!
कभी रावण हूँ मैं, कभी राम बनूं,
कभी कंस हूँ मैं, कभी श्याम बनूं!
कभी दुर्योधन सा दुष्ट हूँ मैं,
कभी कर्ण सा मैं एक मित्र बनूं!
कभी परमब्रह्म सा शांत हूँ मैं,
कभी महाकाल सा काल बनूं!

कभी पृथ्वी, अम्बर पाताल हूँ मैं,
कभी प्रलय, विनाश, और संहार बनूं!
जब आंख मूंद कर खुद को देखूं,
तब इस जीवन - मृत्यु का मैं चक्र बनूं!!

सुकेश कुमार
क्षे. का., कोट्टायम

कास पठार

प्रकृति के कैनवास की पुकार

महाराष्ट्र के हृदय में बसा एक प्यारा स्थल, जिसे कास पठार के नाम से जाना जाता है, अपनी अद्भुत जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. हर मानसून में, यह विशाल पठार फूलों के जीवंत कालीन में बदल जाता है, जो प्रकृति प्रेमियों और रोमांच प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है. पुणे से पुष्पों के इस विस्मयकारी पठार तक की हमारी यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव था, जो हंसी, खोज और पश्चिमी घाट के जादू से भरा था.

हमारी यात्रा सावधानीपूर्वक योजना के साथ शुरू हुई. अगस्त के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक कास पठार अपने सबसे अच्छे रूप में होता है, इसलिए हमने फूलों के मौसम का पूरा आनंद लेने के लिए सितंबर के मध्य में एक सप्ताह के अंत को चुना. हमने अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पुणे से जल्दी शुरू करने का फैसला किया. स्नैक्स, पानी की बोतलों और कैमरों से भरे बैकपैक के साथ, हम तड़के सात बजे ही शहर से निकल गए, जैसे लगा हमारे सफर का प्रकृति को भी अंदाजा हो गया मौसम में एक सुहानी सी रंगत देखने को मिल रही थी.

पुणे से कास पठार की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, सड़क मार्ग से लगभग 3.5 घंटे का सफ़र. हमने कार से यात्रा करने का विकल्प चुना, पुणे-बेंगलूरु हाईवे (एनएच 48) से सतारा तक और फिर पठार तक एक सुंदर चढ़ाई वाली ड्राइव. घाटियों के रास्तों में सुबह की हवा और सूरज की पहली किरणों ने हरे-भरे वातावरण में सुनहरा रंग भर दिया, जिससे आगे के रोमांच के लिए मूड तैयार हो गया.

हमारा पहला पड़ाव सड़क किनारे एक भोजनालय में था, जहाँ हमने पोहा, मिसल पाव और गरम चाय का पारंपरिक महाराष्ट्रीयन नाश्ता किया. तरोताज़ा होकर, हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, सह्याद्री पहाड़ियों के न. जारों को निहारते हुए. हमने नीरा-देवघर बांध और थोसेघर झरनों जैसे नज़ारों वाले स्थानों पर छोटे-छोटे ब्रेक लिए, जिन्होंने हमारी सड़क यात्रा में चार चाँद लगा दिए.

जैसे-जैसे हम पठार के पास पहुँचे, हवा ठंडी होती गई और नज़ारा अविश्वसनीय होता गया. जंगली फूलों की एक विस्तृत कालीन ने हमारा स्वागत किया, जिसमें जीवंत बैंगनी, पीले और सफ़ेद से लेकर नीले और गुलाबी रंग के दुर्लभ शेड्स शामिल थे. यह नज़ारा बेहद शानदार था - प्रकृति अपने सबसे कलात्मक रूप में.

कास पठार में फूलों के पौधों की 850 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, जिनमें कई स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं. हम निर्धारित रास्तों पर घूमते रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि नाज़ुक फूलों को कुचला न जाए. टोपली कर्वी (स्ट्रोबिलैंथेस), जो हर सात साल में केवल एक बार ही खिलता है, एक विशेष आकर्षण था.

पठार फोटोग्राफरों के लिए एक स्वप्निल स्थल है. डीएसएलआर और स्मार्टफ़ोन से लैस होकर, हमने फूलों, पृष्ठभूमि में धुंध से लदी पहाड़ियों और दोस्तों के साथ कैंडिड पलों को कैद किया. प्रकाश और छाया के खेल ने हर फ्रेम को एक उत्कृष्ट कृति बना दिया.

निर्देशित दौरा : अपनी समझ को और गहरा करने के लिए, हम स्थानीय वन विभाग द्वारा आयोजित एक निर्देशित दौरे में शामिल हुए. गाइड ने पठार की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की चुनौतियों और इसके नाम से जुड़े मिथकों के बारे में रोचक जानकारियाँ साझा कीं.

घुमने के बाद, हम पठार के पास एक छोटे से ढाबे पर गए और भाकरी, पिठला और सोल कढ़ी का सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन खाया. देहाती माहौल और लुढ़कती पहाड़ियों के नज़ारों ने इस अनुभव को और भी मज़ेदार बना दिया.

अनिच्छा से, हम पुणे की ओर वापस चल पड़े, अपने साथ न केवल तस्वीरें बल्कि जीवन भर की यादें भी लेकर. रास्ते में, हम घर के लिए मीठी यादें लाने के लिए सतारा की प्रसिद्ध कंडी पेड़ा की दुकानों पर रुके.

यह यात्रा सिर्फ़ गंतव्य के बारे में नहीं थी, बल्कि रास्ते में हमारे बीच मज़बूत होते रिश्तों के बारे में भी थी. कास पठार ने हमें प्रकृति की क्षणभंगुर सुंदरता की सराहना करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के महत्व को सिखाया.

यात्रियों के लिए व्यावहारिक सुझाव

यात्रा का सर्वोत्तम समय: अगस्त के अंत से अक्टूबर के आरम्भ तक.

प्रवेश शुल्क: वन विभाग द्वारा मामूली शुल्क लगाया जाता है.

आवश्यक वस्तुएं: आरामदायक जूते, सनस्क्रीन, बारिश से बचने के कपड़े और भरपूर पानी.

जिम्मेदार पर्यटन: नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कूड़ा-कचरा फैलाने से बचें और चिह्नित मार्गों पर ही रहें.

एक अवश्य देखी जाने वाली पिकनिक स्पॉट मुंबई और पुणे के लिए

कास पठार प्रकृति की अद्वितीय कलात्मकता की याद दिलाता है और शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक बेहतरीन जगह है. हमारे लिए, यह सिर्फ़ एक यात्रा नहीं थी बल्कि दोस्ती और पश्चिमी घाट की कालातीत सुंदरता का जश्न था.

अवनिकांत सामंतराय
क्षे. का., पुणे मेट्रो

नया सवेरा

भोर हुई छाया उजियारा
मुखरित धरा छंटा अंधियारा।
मनोरम स्मृति निर्मल धारा
सप्राण हुआ जीवन सारा।

नूतन हर्षोल्लास के संग
स्वागत करें, भरें मन में उमंग।
नयी अभिलाषाओं के संग
उपलब्ध हैं जीवन के मूल रंग।

है कोना-कोना गाता गीत
नभ से तल तक मधुर संगीत।
मानव बंधन में बंधे प्रीत
हो मानवता की सर्वत्र जीत।

न हो द्वेष राग, न हो अपमान
आओ करें सब का सम्मान।
धरती से अंबर तक विजय गान
रहें एक साथ, सब हों समान।

हम रहें सदा उन्मुक्त प्राण
हंस कर सहें जग का विधान।
सर्वत्र रहे समता का भान
हो उज्ज्वल प्रखर ज्ञान-विज्ञान।

पक्षी कलरव कर रहे अभिनंदन,
सुजलाम सुफ़लाम शोभित वंदन।
शीतल हो जैसे मस्तक पर चन्दन,
शोभित हो तन मन और धन।

जीवन संध्या का रैन बसेरा
पग-पग खुशियों का हो डेरा।
समभाव रहें, न हो तेरा मेरा
करे संकल्प नया, है नया सवेरा

अपराजिता प्रीति
क्षे. का., वरंगल

युवा हैं तो दौड़िए

समस्त क्षमताओं के होते हुए भी कई बार हमें असफलताएँ हाथ लगती हैं कभी सोचा है क्यों, क्या कारण है कि सारी तैयारियों के बावजूद भी हम असफल हो जाते हैं? हमने सारी तैयारियां तो कर लीं, अभ्यास तो कर लिया, सारे उपकरण, साज़-ओ-सामान तो जुटा लिए मगर एक महत्वपूर्ण चीज़ तो हमनें जुटाई ही नहीं -मेंटल कंडिशनिंग- मानसिक तैयारी, वह अभ्यास जो असफलता और सफलता के मध्य का एक महीन धागा है, अगर हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो चाहे हमारी कैसी भी तैयारी हो समय आने पर हम असफल हो सकते हैं.

तो आइये देखते हैं कि हम अपनी मेंटल कंडिशनिंग कैसे कर सकते हैं.....

अगर आप युवा हैं, कोई शारीरिक या स्वास्थ्य संबन्धित बाधा नहीं है..... तो बैठे क्यों हैं? दौड़ लगाइए, पहले अपने पैरों से दौड़िए, थक जाएँ तो हौसलों से दौड़िए लेकिन दौड़ रुकनी नहीं चाहिए, ये दौड़ ही है जो आपको आने वाले संघर्षों और मानसिक तनावों का सामना करने के लिए तैयार करेगी.

अगर प्रात: काल दौड़ नहीं सकते तो शाम को दौड़िए लेकिन दौड़िए ज़रूर, दौड़ते-दौड़ते ऐसा पल भी आता है जब आपको लगता है कि अब एक इंच भी और दौड़ा नहीं जा सकता, पैर जवाब दे जाते हैं, हाँफना शुरू हो जाता है, महसूस होने लगता है कि अगर और दौड़े तो गिर पड़ेंगे, शरीर के पोर-पोर से, दिमाग से एक ही आवाज़ आती है कि रुक जा..... बस यही वह पल है जब आपको अपने पैरों से नहीं अपने हौसलों से दौड़ना जारी रखना है... अगर आपने उस पल अपने दिमाग को ये बता दिया कि आपमें अभी और शक्ति बची है, आप अभी नहीं रुकने वाले तो आपका दिमाग भी वैसे ही कंडीशंड होना प्रारम्भ कर देगा और आपका स्टैमिना इंप्रूव होने लगेगा. हर रोज़ पहले से ज़्यादा दूर दौड़ने का लक्ष्य अपने लिए बनाइये, आप स्वयं को अपने ही विरुद्ध पाएंगे और उस समय अगर आप कामयाब हुए तो खुद से मुक़ाबले में जीतने की आदत बनेगी, भले ही पिछले दिन के मुक़ाबले आप कुछ मीटर ही अतिरिक्त दौड़ पाएँ, फर्क नहीं पड़ता, आप कल जो थे उससे स्वयं को बेहतर ही पाएंगे. लक्ष्य प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा, और आप पाएंगे कि आप स्वयं से जीतने लगे हैं, फिर दैनिक जीवन से जुड़ा कोई कठिन काम हो, प्रॉ. फेशन से संबन्धित नामुमकिन प्रतीत होता कोई भी लक्ष्य हो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आपने अपने दिमाग को कंडीशन कर लिया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं.....

मो. फराह का नाम विश्व के महान धावकों में लिया जाता है, इंग्लैंड के इस धावक ने 4 ओलंपिक एवं 6 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीते हैं. रियो ओलंपिक 2016 में 10,000 मीटर की दौड़ का फाइनल मुक़ाबला चल रहा था, करीब 5000 मीटर की दौड़ हो चुकी थी तभी वो अपने मित्र एवं ट्रेनिंग पार्टनर गलेन रुप्प से टकरा कर गिर पड़े..... दर्शकों को लगा कि मो फराह की दौड़ समाप्त हो गई और उनका लॉन्ग डिस्टन्स डबल गोल्ड का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन मो. फराह जिन्होनें वर्षों के परिश्रम से अपने शरीर और अपने दिमाग को कंडीशंड कर रखा था उठ खड़े हुए.... खुद को समझाया "कोई बात नहीं अभी तो आधी दौड़ बाकी है, मैं सबसे पीछे तो नहीं हूँ, रेस लीडर से फासला ज़रा ज़्यादा है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मैं कर सकता हूँ" उठकर खुद को समझाते हुए दौड़ प्रारम्भ की, दौड़ते हुए केन्या और इथियोपिया के दिग्गज धावकों को पछाड़ते हुए 27 मिनट 5.17 सेकंड में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. मो. फराह के पास उस रेस को रोक कर साइड हो जाने की अनेक वजह थी, लेकिन उनके मस्तिष्क को मालूम था ऐसे लक्ष्य उन्होनें पहले कई बार हासिल किए हैं, अपनी मेंटल कंडिशनिंग की वजह से वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर पाए. लंदन ओलिम्पिक 2012 एवं रियो ओलिम्पिक 2016 दोनों में लॉन्ग डिस्टन्स गोल्डेन डबल का उनका रिकार्ड आज भी कायम है.

नोबल पुरस्कार विजेता लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था

"महानता दूसरे लोगों से बेहतर होने में नहीं बल्कि आप पहले जैसे थे उससे बेहतर बनने में है."

शाफ़िक़ ख़ान
क्षे. का., नागपुर

नराकास मथुरा द्वारा क्षे.का., आगरा के अंतर्गत मथुरा शाखा को वर्ष 2023-2024 हेतु प्रथम पुरस्कार तथा सुश्री रेणु बाला, सहायक प्रबंधक (रा.भा) को सहयोग हेतु विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 17.12.2024 को डॉ छबिल कुमार मेहर, उप निदेशक(का.)-उत्तर-2 और श्री अजय कुमार तिवारी, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री रोहित अग्रवाल, शाखा प्रमुख, मथुरा.

नराकास, कोल्लम द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम को क्षेत्रीय कार्यालयों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 20.12.2024 श्री सतीष.आर, अध्यक्ष, से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री दीप्ति आनंदन, क्षेत्र प्रमुख तथा सुश्री कला सी एस, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा).

नराकास, आणंद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, आणंद को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. दिनांक 18.11.2024 को श्री राजकुमार महावर, अध्यक्ष, नराकास तथा डॉ. मीनेश शाह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्रीमती ऋचा जाजोरिया, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री राजेश जोशी, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा).

नराकास (बैंक), वाराणसी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को वर्ष 2024 के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. दिनांक 12.12.2024 को डॉ छबिल कुमार मेहर, उप निदेशक(का.)-उत्तर-2 से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बरुण कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

नराकास, पुरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरी मुख्य शाखा को तृतीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया गया. दिनांक 14.11.2024 को पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री गुरुदत्त सेठी, शाखा प्रमुख.

नराकास संबलपुर द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, संबलपुर को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. दिनांक 20.11.2024 को श्री विचित्रसेन गुप्त, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.-पूर्व, तथा श्री केशव राव, निदेशक, एमसीएल से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री धर्मेंद्र राजोरिया, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री रोहित साव, प्रबंधक(रा.भा).

नराकास (बैंक), मुंबई द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक श्रेणी में क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-दक्षिण को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 19.11.2024 को शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए श्री के.श्रीधर बाबु, क्षेत्र प्रमुख, क्षे.का, मुंबई दक्षिण.

नराकास, फिरोज़ाबाद द्वारा क्षे.का. आगरा के अंतर्गत फ़िरोज़ाबाद शाखा को 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि हेतु विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 15.10.2024 को श्री निमिष कुमार मिश्रा, अध्यक्ष, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री संतोष कुमार, शाखा प्रमुख, फ़िरोजाबाद.

नराकास, बर्नपुर-आसनसोल द्वारा अप्रैल-सितंबर, 2024 छमाही हेतु क्षे. का., दुर्गापुर की आसनसोल-एलआईसी बिल्डिंग शाखा को राजभाषा उन्नायक पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 27.11.2024 को श्री उमेन्द्र पाल सिंह, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) व सदस्य सचिव, बर्नपुर आसनसोल, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अविनाश कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक, आसनसोल एलआईसी बिल्डिंग शाखा, दुर्गापुर.

नराकास (बैंक एवं बीमा), जालंधर द्वारा सुश्री रूमा, प्रबंधक (रा.भा), क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर को सर्वश्रेष्ठ राजभाषा अधिकारी शील्ड से सम्मानित किया गया. दिनांक 18.11.2024 को पुरस्कार प्राप्त करते सुश्री रूमा, प्रबंधक (रा.भा), साथ हैं श्री टी.पी.एस.दिवाकर, उप क्षेत्र प्रमुख.

नराकास, दुर्गापुर द्वारा जनवरी से जून 2024 की अवधि हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुर को राजभाषा ललित पुरस्कार प्रदान किया गया. दिनांक 17.12.2024 को श्री वृजेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, नराकास तथा डॉ. विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का-पूर्व तथा श्री पंकज कुमार सिंह, सदस्य सचिव, नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख, तथा श्री सुनील साव, सहायक प्रबंधक (रा.भा.).

दिनांक 22.10.2024 को श्री टी एस श्याम सुंदर, अध्यक्ष, नराकास(बैंक व बीमा), कोच्चि की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व बीमा), कोच्चि की 72वीं अर्ध वार्षिक बैठक संपन्न हुई. मंचासीन हैं श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का-दक्षिण पश्चिम, श्री श्रीजित कोट्टारत्तिल, अंचल प्रमुख, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, श्री एस ए रविशंकर, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री राजेश मोहन झा, मुख्य महाप्रबंधक, आईडीबीआई बैंक तथा सुश्री बिनु टी एस, सदस्य-सचिव.

दिनांक 26.12.2024 क्षे.का., विशाखपट्टणम के संयोजन तथा श्री आर नरसिम्हा कुमार, उप महाप्रबंधक व क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में नराकास (बैंक एवं बीमा) विशाखपट्टणम की 25 वीं बैठक आयोजित की गई. मंचासीन हैं श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का., बेंगलुरु, श्री ललन कुमार, महाप्रबंधक (राजभाषा), राष्ट्रिय इस्पात निगम लिमिटेड.

दिनांक 27.12.2024 को क्षे.का., श्रीकाकुलम के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, श्रीकाकुलम की छमाही बैठक का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता श्री एम वेंकट तिलक, क्षेत्र प्रमुख द्वारा की गई. बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक(का.), क्षे.का.का.,- दक्षिण उपस्थित थे.

दिनांक 08.10.2024 को श्री सी.वी.एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख एवं अध्यक्ष, नराकास (बैंक व बीमा), की अध्यक्षता में नराकास (बैंक व बीमा), विजयवाडा की अर्ध वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया. साथ हैं श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे. का.का-दक्षिण, श्रीमती. सी. जे. विजय लक्ष्मी, महाप्रबंधक, केनरा बैंक, श्री. एम. एस. रामा राव, उप अंचल प्रमुख, विजयवाडा.

दिनांक 20.12.2024 को क्षे.का., करीमनगर के संयोजन और सुश्री डी अपर्णा रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक संपन्न हुई. बैठक श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का.,-दक्षिण उपस्थित रहे.

नराकास, बेंगलूरु(बैंक एवं बीमा) के तत्वावधान में अंचल कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा दिनांक 16.12.2024 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख, द्वारा किया गया. मंचासीन हैं श्रीमती वी माधवी, उप अंचल प्रमुख, श्री सी.वी.सुधीर, उप अंचल प्रमुख तथा श्री ई रमेश, सदस्य सचिव, नराकास, बेंगलूरु (बैंक एवं बीमा).

दिनांक 12.12.2024 को, नराकास, आणंद के तत्वावधान में क्षे.का., आणंद द्वारा श्रीमती ऋचा जाजोरिया, क्षेत्र प्रमुख, श्री राजकुमार महावर, अध्यक्ष, नराकास की उपस्थिति में राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी एवं स्मरण शक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. मंचासीन हैं मुख्य अतिथि श्रीमती अमृता दास, पूर्व प्राध्यापक, विशेष अतिथि श्री राजेश त्रिवेदी, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, तकनीकी विशेषज्ञ एवं विशेष अतिथि श्री शक्तिवीर सिंह, राजभाषा अधिकारी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा श्री राजेश जोशी, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा.).

केंद्रीय कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय कंप्यूटर आधारित हिंदी कार्यशाला

दिनांक 28.10.2024 से 30.10.2024 स्थान - बैंगलूरु

दिनांक 28.10.2024 से 30.10.2024 स्थान - भुवनेश्वर

दिनांक 02.12.2024 से 04.12.2024 स्थान - गुरुग्राम

दिनांक 28.10.2024 से 30.10.2024 स्थान - हैदराबाद

दिनांक 27.11.2024 से 29.11.2024 स्थान - लखनऊ

दिनांक 14.10.2024 से 16.10.2024 स्थान - मंगलूरु

दिनांक 14.10.2024 को क्षे.का., लुधियाना द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया. श्री जसपाल सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए.

दिनांक 09.10.2024 को क्षे.का., तृश्शूर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सतीश कुमार एम, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया. साथ हैं श्रीमती प्रीति रामचंद्रन तथा श्री कृष्णदास ए, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 20.11.2024 को क्षे.का., दुर्गापुर द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 26.11.2024 को क्षे.का., कोल्लम में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. प्रतिभागियों के साथ हैं श्री दीप्ति आनंदन, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री जे.सुब्रमणियम, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 11.12.2024 को क्षे.का., वाराणसी में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री बरुण कुमार, क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 12.12.2024 को क्षे.का., बेंगलूरु (दक्षिण) द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक 22.11.2024 को क्षे.का., तिरुवनंतपुरम में आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुजित एस तारीवाळ, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया. मुख्य अतिथि एवं संकाय के रूप में डॉ माया लक्ष्मी, सहायक प्रबंधक राजभाषा भारतीय रिज़र्व बैंक थी. साथ हैं श्री सनल कुमार तथा श्री दासरि वेंकट रमण उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 30.12.2024 को क्षे.का., रायपुर में आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुधांशु शेखर मोहपात्रा, मुख्य प्रबंधक द्वारा किया गया.

दिनांक 14.11.2024 को क्षे.का., बेंगलूरु उत्तर में हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री राजेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 26.12.2024 को क्षे.का., भुवनेश्वर द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. श्री के. जनार्धन राव, उप क्षेत्र प्रमुख ने कार्यशाला के समापन पर आयोजित परीक्षा के विजेताओं को पुरस्कृत किया.

दिनांक 16.12.2024 को क्षे.का., पटना में आयोजित हिंदी कार्यशाला के अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री रणजीत सिंह, क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 10.12.2024 को क्षे.का., गुंटूर में आयोजित हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ श्री एस जवाहर, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री जे अश्वर्थ नायक एवं श्री ए राजेश, उप क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे.

दिनांक 20.12.2024 को क्षे.का., खम्मम में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का उद्घाटन श्री ए हन्मंत रेड्डि, क्षेत्र प्रमुख, श्री एन सुधाकर राव, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 17.12.2024 को क्षे.का., बड़ौदा में आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री जुगल किशोर रस्तोगी, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 19.12.2024 को क्षे.का., पुणे मेट्रो में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया.

दिनांक- 30.12.2024 को क्षे.का., हासन द्वारा हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया.

दिनांक 07.12.2024 को क्षे. का. बठिंडा में हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री आशीष सुवालका, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 04.12.2024 को क्षे.का., मैसूरु द्वारा आयोजित हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुनिल वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 21.12.2024 क्षे.का., संबलपुर में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन श्री धर्मेंद्र राजोरिया, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 20.12.2024 को क्षे.का., कड़पा में आयोजित हिंदी कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ श्रीमती ए लक्ष्मी तुलसी, क्षेत्र प्रमुख, श्री शेक बाषा और श्री एस जी राजकुमार, उप क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 26.12.2024 को पेरैयुर में यूनियन साक्षर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पेरैयूर शहर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री वरुसाई मुहम्मद, आईएईए के अध्यक्ष श्री एल राजा. साथ हैं पेरैयुर शाखा के शाखा प्रबंधक श्री एत्तुराजन, संकाय सदस्य श्री वी चिन्नमरुगन तथा सुश्री अंजली दास, सहायक प्रबंधक (रा.भा) उपस्थित रहे.

दिनांक 20.12.2024 को क्षे.का. एर्णाकुलम में यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मलयालम प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री टी एस श्याम सुंदर, क्षेत्र प्रमुख.

दिनांक 03.10.2024 को अंचल कार्यालय, विजयवाडा द्वारा यूनियन भाषा सौहार्द इंद्रधनुष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित तेलुगु भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई श्रीमती. ए शारदा मूर्ति, उप अंचल प्रमुख, विजयवाडा. साथ हैं श्री. लक्ष्मी नारायण, प्राध्यापक, हिंदी प्रचार सभा.

दिनांक 25.10.2024 को हैदराबाद में श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा) की अध्यक्षता में अंचलीय अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. स्वागत संबोधन करते हुए श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (राभा). मंचासीन हैं गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मा.सं. एवं रा.भा), श्री दीपक एन.एस. केंद्र प्रभारी, यूएलए, ग्रामीण एवं एफआई, श्रीमती बी ए एल कामेश्वरी, केंद्र प्रभारी, परिचालन उत्कृष्टता, श्री यू उपेंद्र, केंद्र प्रभारी, जेडएलसी, हैदराबाद. इस बैठक में अंचलों तथा क्षेत्रों में पदस्थ राजभाषा अधिकारी उपस्थित रहे.

दिनांक 02.12.2024 को अंचल कार्यालय, बेंगलूरु में श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक - 2024 का आयोजन किया गया. अंचल में पदस्थ सभी राजभाषा प्रभारी बैठक में उपस्थित रहे.

दिनांक 21.12.2024 को अंचल कार्यालय, हैदराबाद में श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. मंचासीन हैं, श्री अजय कुमार, महाप्रबंधक एवं उप अंचल प्रमुख तथा श्री वी एस वी नागेश, उप महाप्रबंधक एवं उप अंचल प्रमुख. अंचल में पदस्थ सभी राजभाषा प्रभारी बैठक में उपस्थित रहे.

दि 17.12.2024 को अंचल कार्यालय, विजयवाडा में श्री. सी.वी. एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. मंचासीन हैं श्रीमती. ए. शारदा मूर्ती, उप अंचल प्रमुख. अंचल में पदस्थ सभी राजभाषा प्रभारी बैठक में उपस्थित रहे.

दिनांक 25.11.2024 को अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम में श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में श्री शंकरा राव देवरा, उप अंचल प्रमुख, श्री सुनील दत्त, मुख्य प्रबंधक(रा. भा) कें. का., मुख्य प्रबंधक(रा.भा) तथा अंचल में पदस्थ सभी राजभाषा प्रभारी बैठक में उपस्थित रहे.

दिनांक 21.12.2024 को अंचल कार्यालय, लखनऊ में श्री राजेश कुमार, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 हेतु अंचल स्तर राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए. अंचल में पदस्थ सभी राजभाषा प्रभारी बैठक में उपस्थित रहे.

दिनांक 16.11.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का- दक्षिण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (दक्षिण) का निरीक्षण किया गया.

दिनांक 21.12.2024 को डॉ विचित्र सेन गुप्त, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का-पूर्व द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पटना का राजभाषा निरीक्षण किया गया.

दिनांक 10.12.2024 को श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का- दक्षिण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम का निरीक्षण किया गया.

दिनांक 22.11.2024 को डॉ छबिल कुमार मेहेर उप निदेशक (का. का.) तथा श्री अजय कुमार चौधरी सहायक निदेशक (का.), क्षे.का.का-उत्तरी क्षेत्र-2, ने क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया.

दिनांक 16.11.2024 को डॉ.विचित्रसेन गुप्त, उप निदेशक (का.), क्षे.का.का-पूर्व द्वारा पुरी मुख्य शाखा का निरीक्षण किया गया.

दिनांक 27.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर के राजभाषाई निरीक्षण हेतु पधारे श्री अनिर्बान कुमार विश्वास, उप निदेशक (का), क्षे.का.का. कोच्चि का स्वागत सुश्री एस.एस. लावण्या, क्षेत्र प्रमुख द्वारा किया गया.

दिनांक 28.11.2024 को श्री धर्मवीर उप निदेशक(रा.भा), वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बतूर के राजभाषाई निरीक्षण के दौरान स्टाफ को संबोधित किया गया. मंचासीन हैं सुश्री एस.एस.लावण्या, क्षेत्र प्रमुख, श्री विवेकानंद, सहायक महा प्रबंधक(रा.भा), कें का.

बैंक की त्रैमासिक पत्रिका "यूनियन सृजन" के अप्रैल-जून, 2024 अंक में वित्तीय दुनिया की नवीनतम प्रवृत्तियों को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है. इस अंक में, आकर्षक डिजाइन और आकर्षक सामग्री के साथ, विभिन्न बैंकिंग आलेख, सूचना प्रौद्योगिकी में नई पहल, ग्राहक जुड़ाव यात्रा विवरण सहित ज्ञानवर्धक लेख है यह स्टाफ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है. पत्रिका डिजिटल बैंकिंग, सतत वित्त और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वित्तीय विषयों को गहराई से समझाती है, जो इसे व्यापक दर्शकों के लिए जानकारीपूर्ण और सुलभ बनाती है. "यूनियन सृजन" डिजिटल वर्लड और बैंकिंग में नवीनतम रुझानों के बारे में सूचित रहने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान पुस्तक है. विशेषज्ञ विश्लेषण, व्यावहारिक सलाह और आकर्षक दृश्यों को मिलाकर यह पत्रिका रोचक, जानकारीपूर्ण और बहुत ही प्रेरक है.

सुमि पी यु
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बडौदा, अंचल कार्यालय, एर्णाकुलम

आपके बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "यूनियन सृजन" का अप्रैल - जून 2024 अंक पढ़ा. आपकी पत्रिका के अंक हमें नियमित रूप से प्राप्त हो रहे है, इसके लिए विशेष धन्यवाद. हमेशा की तरह यूनियन सृजन का यह अंक आकर्षक एवं सूचनपद है. साथ ही आपकी पत्रिका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा गतिविधियों का आईना है. जोकि सराहनीय है. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़ की ओर से बधाई.

संजीव जैन
सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़

आपके केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रकाशित तिमाही पत्रिका "यूनियन सृजन" की नवीनतम अंक (भाषा एवं साहित्य विशेषांक; जुलाई-सितंबर 2024) प्राप्त हुई.
विषयगत अंक में महान संस्कृतियुक्त हमारे भारत देश से विलुप्त व लुप्तप्राय भाषाओं की चिंताजनक विषय के साथ-साथ 'भाषा संरक्षण पहल' को भी उजागर किया है. विश्व के सबसे वैज्ञानिक लिपि 'देवनागरी' व 'ए.आई. समर्थित अभिव्यक्ति' के विभिन्न आयाम का भी जिक्र किया गया है. उक्त के अलावा पत्रिका में राजभाषा कार्यान्वयन के साथ-साथ सम-सामयिक सामान्य विषयों से संबंधित लेखों को भी शामिल किया गया है. राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के विभिन्न गतिविधियों की सचित्र रिपोर्टिंग को भी पर्याप्त जगह दिया गया है. उत्तम पत्रिका के प्रकाशन के लिए संपादन टीम को हार्दिक बधाईयाँ. पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. धन्यवाद सहित

षोजो लोबो
सदस्य सचिव, नराकास (बैंक एवं बीमा कंपनी),
केनरा बैंक, तिरुवनंतपुरम

"यूनियन सृजन" पत्रिका (जुलाई-सितंबर 2024) का अंक प्राप्त हुआ. यह पत्रिका बैंकिंग, वित्त, नवाचार, एवं कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है.
इस अंक में विविध विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें बैंकिंग क्षेत्र की नई पहल, नवीनतम तकनीकी विकास, एवं आर्थिक विश्लेषण सम्मिलित हैं. साथ ही, इसमें कर्मचारियों की साहित्यिक रचनाएँ, लेख, कविताएँ एवं प्रेरणादायक कहानियाँ भी स्थान पाती हैं, जो पत्रिका को रोचक और सूचनात्मक बनाती हैं.
पत्रिका की विशेषता इसकी समग्रता है - यह बैंकिंग जगत की गंभीर विषयवस्तु को रोचक शैली में प्रस्तुत करती है. इसमें वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों की सृजनात्मकता को भी बढ़ावा दिया गया है. संपादकीय टीम ने प्रभावी ढंग से पत्रिका का संयोजन किया है, जिससे यह पठनीय और ज्ञानवर्धक बनी हुई है.
समग्र रूप से, "यूनियन सृजन" बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के पेशेवरों के लिए उपयोगी होने के साथ-साथ साहित्यिक रुचि रखने वाले पाठकों को भी आकर्षित करती है. यह पत्रिका ज्ञान, प्रेरणा, और नवाचार का एक उत्कृष्ट संगम है.

रजनीश यादव
मुख्य प्रबंधक राजभाषा, भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय, अमरावती हैदराबाद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' का जुलाई - सितंबर 2024 अंक प्राप्त हुआ. भाषा एवं साहित्य विशेषांक का यह अंक यथा नाम तथा रूप है. आपके कुशल संपादन में प्रकाशित इस अंक में विभिन्न विद्वान साथियों के लेख राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के अवदान को रेखांकित करने में पूर्णत: सफल हुए हैं. लेखों और छाया चित्रों के माध्यम से नराकास और आंतरिक गतिविधियों में राजभाषा के क्षेत्र में यूनियन बैंक की उपलब्धियां आश्वस्ति प्रदान करती हैं. एक बार पुन: पत्रिका के इस उत्कृष्ट अंक के लिए संपादकीय टीम तथा सभी लेखकों को बधाई.

नीरज राय
स्नातकोत्तर शिक्षक हिन्दी
(राजभाषा प्रभारी), केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कोटी का निरीक्षण - दि. 23.10.2024

दिनांक 23.10.2024 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कोटी के निरीक्षण के उपरांत समिति के उपाध्यक्ष, श्री भर्तृहरि महताब से बैंक के उच्च कार्यपालकों की उपस्थिति में निरीक्षण के उपरांत प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए श्री कल्याण वर्मा, क्षेत्र प्रमुख, कोटी, हैदराबाद. साथ हैं बैंक के कार्यपालक श्री के भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद, श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं), श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मा.सं एवं रा.भा), श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मा.सं), श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा), श्री देवकांत पवार, वरिष्ठ प्रबंधक (रा.भा), श्री साहेबराव काम्बले, सहायक प्रबंधक (रा.भा) तथा वित्तीय सेवाएं विभाग से श्री जगजीत कुमार, निदेशक और श्री धर्मबीर, उप निदेशक (रा.भा).

दिनांक 23.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोटी के निरीक्षण के लिए हैदराबाद पधारी राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने बैंक के उच्च कार्यपालकों की उपस्थिति में अंचल कार्यालय हैदराबाद एवं क्षेत्रीय कार्यालय सिकंदरबाद की संयुक्त पत्रिका "यूनियन कोहिनूर" के सितंबर 2024 अंक का विमोचन किया.

RNI No. MAH HIN/2016/68433

निःशुल्क वितरण हेतु

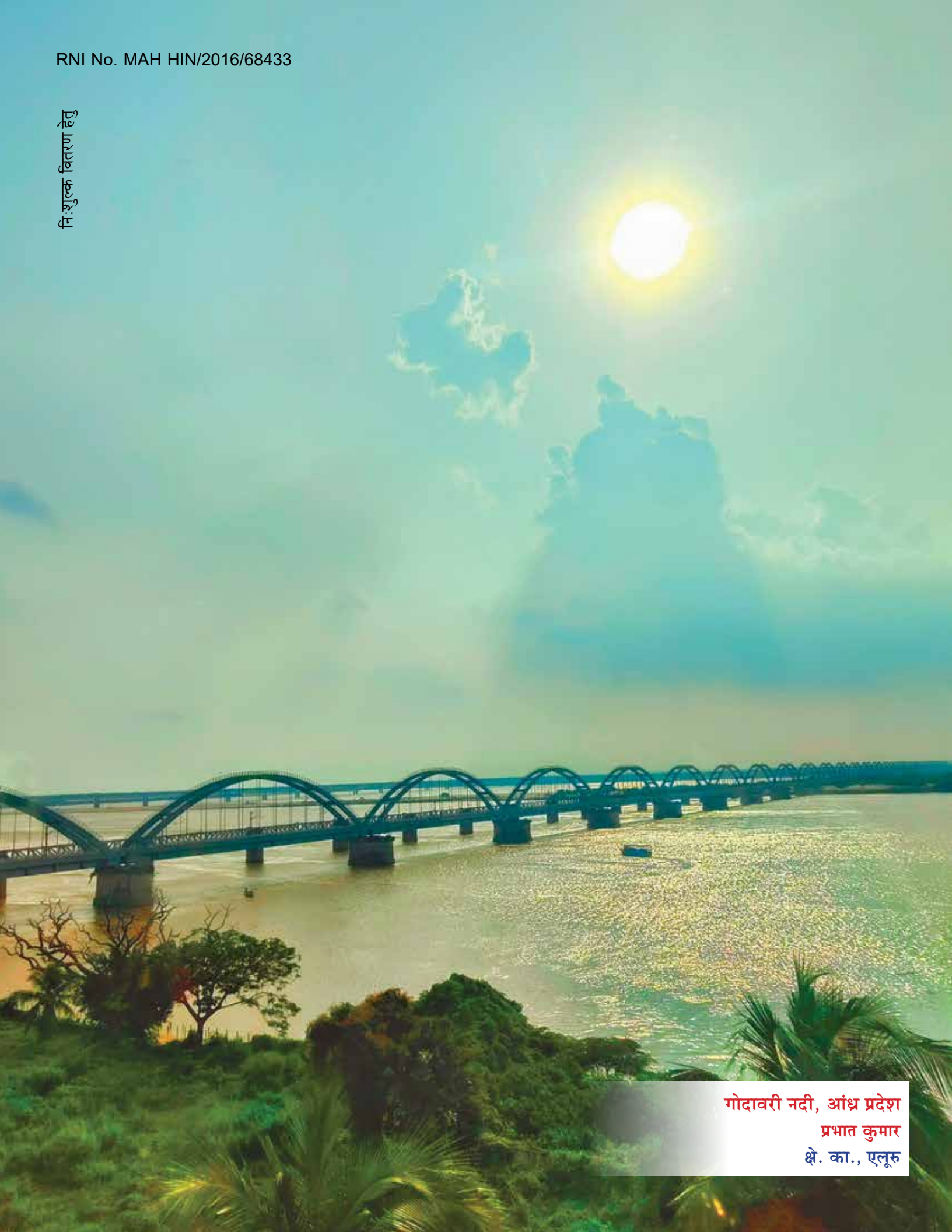

गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश
प्रभात कुमार
क्षे. का., एलूरु